खण्ड–28, अंक–05
बुधवार, 26 फाल्गुन, शक संवत्, 1931
(17 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 28 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	"क"
प्रश्नोत्तर	1–26
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	26–27
जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में टिहरी सिंचाई खण्ड के अन्तर्गत कोठियाड़ा नहर के क्षतिग्रस्त होने से काश्तकारों को हो रही क्षति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	27
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण में गौरा देवी कन्या धन योजना में पात्र कन्याओं को लाभ न मिल पाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	27–28
नियम–310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग ...	28–32
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में राम गंगा नदी पर ग्राम झलां हेतु ग्राम भटकोट से लड्डूमणि नाम स्थान पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	33
जनपद अल्मोड़ा के ग्राम सभा चुलेरासीम के अन्तर्गत पालगबाड़ी एवं चुलेरासीम के बीच राम गंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	33
जनपद अल्मोड़ा के ग्राम सभा झलां कारचूली हेतु चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग के अन्तर्गत भट्टकोट नाले से राम गंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	33
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना द्वारा नियम–66 के अन्तर्गत "राष्ट्रीय समाचार पत्र" के विरुद्ध अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट	34
उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक 2010 (पुरःस्थापित)	34–35
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2010 (पुरःस्थापित) ...	35
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	35–40

विषय	पृष्ठ–संख्या

वित्तीय वर्ष, 2010–2011 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण 40–78

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत) 78–87

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं 88

देवभूमि उत्तराखण्ड में गंगा जैसी पवित्र नदी तथा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किये जाने के बाद भी प्रदेश की बड़ी आबादी को गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 88–90

राज्य में शीघ्र पंचायती राज एक्ट लागू करने के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 90–91

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री केदार सिंह फोनिया
12–श्री खजान दास
13–श्री खड़क सिंह बोहरा
14–श्री गगन सिंह
15–श्री गणेश जोशी
16–श्री गोपाल सिंह राणा
17–श्री गोपाल सिंह रावत
18–श्री गोविन्द लाल
19–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21–श्री चन्दन राम दास
22–श्री जोगा राम टम्टा
23–श्री जोत सिंह गुनसोला
24–हाजी तस्लीम अहमद
25–श्री तिलक राज बेहड़
26–श्री दिनेश अग्रवाल
27–श्री दिवाकर भट्ट
28–श्री दिवान सिंह
29–श्री नारायण पाल
30–काजी मौ0 निजामुद्दीन
31–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32–श्री प्रकाश पन्त
33–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
34–श्री प्रीतम सिंह
35–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
36–श्री प्रेमानन्द महाजन
37–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
38–श्री बलबीर सिंह नेगी
39–श्री बिशन सिंह चुफाल
40–श्री बंशीधर भगत
41–श्री बृज मोहन कोटवाल
42–श्री शेर सिंह
43–मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
44–श्री मदन कौशिक
45–श्री मनोज तिवारी
46–श्री मयूख सिंह
47–श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महूँ भाई''
48–श्री मातबर सिंह कण्डारी
49–श्री कुलदीप कुमार
50–श्री यशपाल आर्य
51–श्री यशपाल बेनाम
52–चौ0 यशवीर सिंह
53–श्री रणजीत रावत
54–डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
55–श्री राजकुमार
56–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
57–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
58–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
59–श्री विजय सिंह गुड्डु पंवार
60–श्रीमती वीना महराना
61–श्री शहजाद
62–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
63–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
64–श्री सुरेन्द्र राकेश
65–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
66–श्री सुरेश चन्द जैन
67–डा0 हरक सिंह रावत
68–श्री हरभजन सिंह चीमा
69–श्री हरिदास
70–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य तथा उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु तात्कालिक कदम

**1–काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि विगत तीन माह से राज्य के विद्युत उत्पादन केन्द्रों में विद्युत उत्पादन में भारी गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप राज्य में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है ?

यदि हाँ, तो प्रश्न प्राप्ति की तिथि को प्रदेश का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के विरुद्ध कितना था ?

विद्युत क्षमता को बढ़ाने हेतु सरकार तात्कालिक क्या कदम उठा रही है ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

प्रदेश में नदियों के जलस्तर में कमी आने के कारण विद्युत उत्पादन में गिरावट आई है। वर्तमान समय में अघोषित विद्युत कटौती नहीं की जा रही है।

प्रश्न प्राप्ति की तिथि (19 फरवरी, 2010) में औसतन 9.494 मि0यू0 प्रतिदिन लक्ष्य के सापेक्ष 6.472 मि0यू0 उत्पादन हुआ।

पुरानी योजनाओं के नवीनीकरण, उच्चीकरण, जीर्णोद्धार एवं नई जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार कह रही है कि अघोषित विद्युत कटौती नहीं की जा रही है तो इसके मायने घोषित की जा रही होगी, तो कितनी की जा रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह जो घोषित कटौती है यह अघोषित से भी ज्यादा खतरनाक है। मान्यवर, यह ठीक है कि माना नदियों के जलस्तर में कमी आने के कारण विद्युत उत्पादन कम होने की सम्भावना थी, और कम हुआ है। लेकिन उस जल स्तर को देखते हुए सरकार ने खुद

ही लक्ष्य रखा था। 19 फरवरी, 2010 के लिए मैंने पूछा तो लक्ष्य था 9.494 मि0यू0, तो उसके सापेक्ष 6.472 मि0यू0 उत्पादन हुआ है। तो मान्यवर, लक्ष्य तो आपने आप निर्धारित किया फिर लक्ष्य से कम विद्युत उत्पादन कम क्यों हुआ ? एक तिहाई उत्पादन कम क्यों हुआ ? मैं सरकार से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार ने जवाब दिया है कि विद्युत क्षमता बढ़ाने हेतु विद्युत ग्रहों का नवीनीकरण, उच्चीकरण तथा जीर्णोद्धार किया जायेगा तो यह किस मद से किया जायेगा कितना पैसा किस–किस योजना में लगेगा ? समयबद्ध बता दें कि यह परियोजनायें कब तक रैनुवेट कर दी जायेंगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक प्रश्न घोषित विद्युत कटौती का है। यह विद्युत कटौती 21 जनवरी, 2010 से 31 मार्च, 2010 तक प्रभावित है। इसके तहत जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र एवं लक्सर टाऊन, जिसमें प्रातः 6.15 से प्राप्तः 11.15 मिनट तक, लण्ढौरा, मंगलौर, बहादरबाद, डोईवाला, ढकरानी, विकास नगर, सेलाकुई, सहसपुर, रामनगर, खटीमा रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा और सितारगंज टाऊन इसमें श्रीमन्, 8.15 मिनट से दोपहर 12.15 मिनट तक एवं गढ़वाल एवं कुमाऊँ के समस्त पर्वतीय क्षेत्र कोटद्वार टाऊन.............. (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूँ इसे रहने दीजिए इसमें आकड़े ठीक नहीं है मैं इस पर बहस भी नहीं करना चाहता। आप मजबूर हैं बिजली आपके पास है नहीं। आप इससे कहीं ज्यादा बिजली काट रहे हैं। मैं आपसे इस पर बहस भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप इस पर बहस करने की स्थिति में भी नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो घोषित विद्युत कटौती है, जो हम कर रहे हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आप घोषित कटौती बता रहे हैं न। अगर मैंने अघोषित विद्युत कटौती बतानी प्रारम्भ कर दी तो आप मुझसे बहस करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज की तिथि में अघोषित विद्युत कटौती नहीं हो रही है। घोषित विद्युत कटौती हो रही है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं तो सरकार से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार ने कहा है कि 19 फरवरी, 2010 तक औसतन 9.494 मि0यू0 प्रतिदिन लक्ष्य के सापेक्ष 6.472 मि0यू0

उत्पादन हुआ। लक्ष्य तो आपके विभाग द्वारा निर्धारित किया गया और लक्ष्य के सापेक्ष वन थर्ड उत्पादन कम क्यों हुआ।

श्री प्रकाश पन्त–

उत्पादन कम होने का मुख्य कारण नदियों के जल स्तर में कमी आना।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जल स्तर देखकर ही तो आपने लक्ष्य निर्धारित किया होगा। इन्स्टाल कैपिसिटी के हिसाब से नहीं है, यह लक्ष्य। आपकी अगर इन्स्टाल कैपेसिटी देखें तो 20 हजार मिलियन यूनिट से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। यह जो टारगेट रखा है यह जल स्तर देखकर ही टारगेट रखा गया है। मैं तो मात्र यह जानना चाहता हूँ कि टारगेट के हिसाब से कम क्यों हुआ ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, लक्ष्य के सापेक्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह मैं बता दूँ। लक्ष्य के सापेक्ष जो हमारा कम रहा है उत्पादन, उसका मुख्य कारण जल बहाव की कमी थी और कम बहाव के कारण विद्युत उत्पादन में प्रभाव पड़ा, उसे मैं उल्लिखित करना चाहूँगा। माह फरवरी तक जो हमारे विद्युत गृह थे उनमें........ मान्यवर, हमारा जो लक्ष्य के सापेक्ष उत्पादन कम रहा उसका मुख्य कारण जल बहाव की कमी थी और कम बहाव के कारण विद्युत उत्पादन में प्रभाव पड़ा। उसको मैं उल्लिखित करना चाहूँगा। माह फरवरी तक हमारे जो विद्युत गृह थे उन विद्युत गृह में हमने जो उत्पादन किया वह जैसे छिबरों ने 814.49 मि0यू0 विद्युत उत्पादन किया, जबकि हमारा जो जल बहाव था वह जल बहाव लगातार कम होता रहा और जिसके चलते हुए हमारा जो लक्ष्य था उसके सापेक्ष हम पूरा नहीं कर पाये। श्रीमन्, वर्ष 2008–09 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य के सापेक्ष 4102 मि0यू0 उत्पादन कर पाये। श्रीमन्, हम विगत पांच वर्षों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि जल बहाव की स्थिति क्या होगी, लेकिन दुर्भाग्य से वर्षा कम होने से और कतिपय कारणों से इस वर्ष नदियों में पानी का बहाव कम हुआ, जिस कारण इस प्रकार की समस्या आयी।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं लगातार आपके माध्यम से एक सवाल सरकार से कर रहा हूँ कि हमारी इन्स्टाल कैपेसिटी अलग है, वह बहुत ज्यादा है। 1304 मेगावाट के लगभग है। हमें बीस हजार मि0यू0 के लगभग प्रतिदिन विद्युत उत्पादन करना चाहिए। लेकिन जब सरकार या विभाग ने लक्ष्य रखा वह 9.494 मि0यू0, उसके सापेक्ष 6.472 मि0यू0 विद्युत उत्पादन हुआ। मान्यवर, जब लक्ष्य रखा जाता है वह हालात को देखकर ही लक्ष्य रखा जाता होगा। मान्यवर, पूरे प्रदेश के लिए ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारे

प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हम करोड़ों रुपये की लगातार बिजली खरीद रहे हैं, इतनी मंहगी बिजली खरीद रहे हैं जो हमारी सोच से बाहर है। मान्यवर, शायद ₹ 15 प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार या विभाग बिजली खरीद चुकी है। मान्यवर, ₹ 15 प्रति यूनिट के हिसाब बिजली खरीद रहा हूँ इस बात को कहने में मैं कतई शर्मिन्दा नहीं हूँ कि इतनी महंगी बिजली खरीदने की औकात हमारी नहीं है। हम यदि अपने विभाग को दुरस्त कर लें तो पन्द्रह सौ मि0यू0 प्रतिदिन बिजली हम सुधार सकते है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब लक्ष्य निर्धारित किया गया तो उसका पैमाना रखा गया होगा, उसका क्या पैमाना था ? लक्ष्य से एक तिहाई कम बिजली उत्पादन कम क्यों हुई ? यह एक प्वाइन्टेड सवाल है, इसका प्वाइन्टेड जवाब चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्वाइन्टेड सवाल का प्वाइन्टेड जवाब यही है कि हम पांच वर्षों का नदियों का बहाव कितना होगा, उसका एक मूल्यांकन करते हैं, तब मूल्यांकन के आधार पर प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित होता है। उस लक्ष्य के सापेक्ष इस वर्ष जल बहाव में कमी आयी। कतिपय कारणों से और भी कमी आयी, जिसके कारण हम लक्ष्य के सापेक्ष बिजली का उत्पादन नहीं कर पाये।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माना कि जो दो तिहाई लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है उसके सापेक्ष बिजली का प्रोडक्शन हुआ। पिछले वर्षों में भी जब बिजली का उत्पादन हुआ वह लक्ष्य से कम हुआ, तो मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार विद्युत उत्पादन का अपना लक्ष्य वर्ष 2010–11 के लिए कितना प्रतिशत कम करने जा रही है पिछले वर्ष से, क्योंकि आपके पास अब रिकॉर्ड आ ही गये होंगे, दूसरा आज उपभोक्ता परेशान है, फौरी तौर से जो यह कमी आयी है उसक पूर्ति के लिए सरकार ने क्या–क्या निर्णय लिए है, कौन–कौन से कार्य किये। और कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनायी हैं ? इनके बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमने मुख्य रूप से इस मध्य विद्युत उत्पादन में जो कमी आयी है और जो निर्णय लिये हैं, उसके तहत हमने जो कुल विद्युत क्रय की है। ....।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आपने अगले साल का लक्ष्य कम कर लिया या नहीं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, लक्ष्य तो अभी कम नहीं होगा, जितनी हमारी आवश्यकता होगी उतना होगा। मान्यवर, उत्पादन बढ़ाया जायेगा और प्रयास यह करेंगे, हमारी कुल पांच वर्षों में

जल की स्थिति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस वर्ष का, अगले वित्तीय वर्ष का वह लक्ष्य निर्धारण करेंगे। मान्यवर, हम उसके सापेक्ष प्रयास करेंगे कि हम अपनी योजनाओं के नवीनीकरण के बाद और उनके सुधारीकरण के आधार पर और नयी जल विद्युत परियोजनाओं के आधार पर लक्ष्य की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, एक प्रश्न मेरा रह गया है विद्युत उत्पादन में जो कमी आयी है उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? मान्यवर, यह प्रदेश हित का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात तो आ गयी है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी बात कहाँ आयी है ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो पुरानी योजनाएं हैं उनका नवीनीकरण करेंगे, सदृढ़ीकरण करेंगे मैंने बता तो दिया।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि पुरानी योजनाओं के नवीनीकरण, उच्चीकरण, जीर्णोद्धार एवं नई जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके उच्चीकरण एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार इनके नवीनीकरण, जीर्णोद्धार के लिए क्या अपने संसाधनों से पैसा लगायेगी या पी0पी0पी0 मोड पर करायेंगे या फिर इनको बेचने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अभी इन परियोजनाओं को बेचे जाने का कोई विचार नहीं है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है, उन परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और उच्चीकरण के कार्य हेतु कुछ परियोजनाओं में अनुबन्ध किये जा रहे हैं और डी0पी0आर0 बनने के पश्चात हमें कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी उसके आधार पर इसमें कुछ परियोजनाएं, जैसे श्रीमन् गलोगी है, 3 मेगावाट का विद्युत गृह है इसके स्थापित करने हेतु जुलाई वर्ष, 2009 में आदेश दे दिये गये थे, पथरी के आधुनिकीकरण और उच्चीकरण के कार्य हेतु डी0पी0आर0 पूर्ण होने के पश्चात निविदाएं

09–04–2009 को आमंत्रित की गयी थीं और इसके आधार पर 09–03–2010 को पथरी विद्युत गृह के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण के कार्य हेतु अनुबन्ध कर लिया गया है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

आप पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

पैसा सरकार अपने संसाधन से लगायेगी। (व्यवधान) मान्यवर, डिटेल तो पृथक–पृथक योजनाओं की है। आप कहें तो मैं सबको पढ़ दूँ, आप चाहें तो मैं योजनावार जानकारी दे दूँ। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

बिल्कुल दे दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मोहम्मदपुर के कार्यों का आवंटन और कार्य प्रगति पर है। खटीमा विद्युत गृह की डी0पी0आर0 अनुमोदित कर दी गयी है। टेण्डर डाक्यूमेन्ट्स बनाने का कार्य प्रगति पर है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री प्रकाश पन्त–

छिबरों, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर कुल्हाल, तिलोथ विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण हेतु डी0पी0आर0 बनाने का कार्य दिया जा रहा है।

श्रीमती अमृता रावत–

ये बनेगी कब तक ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, शीघ्र से शीघ्र। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, वित्तीय स्थिति प्रदेश की बहुत खराब है, संसाधन नहीं है। प्रदेश के पास जनरेट करने के लिए पैसा कहाँ से आयेगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूर्व में अवगत कराया कि जितनी भी योजनाएं हैं, उनका उल्लेख मैं सम्मानित सदन के समक्ष कर रहा हूँ उनमें इनके सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य प्रस्तावित है। इसको प्रक्रिया के तहत समयबद्धता के रूप में हम

करेंगे। हमारी जो आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुरूप जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के आधार पर हम इस राज्य को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन कर सकें, इस लक्ष्य को जो निर्धारित किया गया है उसकी आपूर्ति हम कर पाएँ। हम प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपनी–अपनी बात मत कीजिए। मैं आपको एक अवसर और दूँगा।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रदेश में विद्युत की किल्लत हो रही है तो प्रदेश सरकार विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत निगम को बाहरी राज्यों से कितनी बिजली खरीदनी पड़ रही है ? और किस दर पर है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्ष 2009–10 के फरवरी–मार्च तक कुल उत्पादन, जो हमारा जल विद्युत निगम का था वह 3823.73 मिलियन यूनिट है इसमें से हमको प्राप्त हुआ है 3533.17 मिलियन यूनिट और इसी के तहत हमने ओवर ड्रॉ किया और इसके ओवर ड्रॉ के पश्चात हमने बाहर से 7 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से, जो हमारे रेट पर उपलब्ध हुई, वह 113.83 मिलियन यूनिट हमने क्रय की और इसके साथ–साथ जो बैंकिंग से हमने फरवरी 2010 तक लिया है वो 231 मिलियन यूनिट 5 प्रतिशत अधिभार के माध्यम से प्राप्त किया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, तो गलोगी में पिछले एक साल से काम चल रहा है पर वहाँ प्रोग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, चीला किसी और को दे दिया है, कागजों में काम हो रहा है वहाँ पर, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि प्वाईंटेड उत्तर दे दें कि यह कब तक पूर्ण हो जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जितनी भी जल विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है, उनकी सबकी अपनी–अपनी सीमायें हैं। मान्यवर, आपने गलोगी के बारे में पूछा तो मैं गलोगी के बारे में बता देता हूँ, अगर आप पृथक–पृथक जानकारी योजनावार चाहेंगे तो वह मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, आप पूरे राज्य की सभी विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी चाहेंगे कि यह कब तक पूरी हो जायेगी तो यह उत्तर देना सम्भव नहीं है। मान्यवर, जहाँ तक गलोगी का प्रश्न किया तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। श्रीमन्, गलोगी में वर्तमान में स्थिति यह है कि कच्चे रोड का कार्य मार्च 2009 में पूर्ण हो चुका है। नये पैनस्टॉक का कार्यादेश कर दिया गया है तथा पैनस्टॉक इरेक्शन का कार्य युद्धस्तर पर है। बैटरी एवं कक्ष तथा 1 मेगावाट की नई मशीन के साथ–साथ स्टेटिक एक्साईटेशन तथा माइक्रोप्रोसेसर आधारित गवर्नर स्थापित करने हेतु आदेश जुलाई वर्ष 2009 में कर दिये गये हैं। नये स्विच गियर का

इरेक्शन पूर्ण हो चुका है एवं प्री कमीशनिंग के कार्य उपरान्त अन्डर ट्रायल है। मान्यवर, इसी तरह से और किसी योजना के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं बता दूँगा। मान्यवर, गलोगी का कार्य वर्ष 2010–11 तक पूर्ण कर लेंगे, इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लेंगे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, तो इसी जवाब के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि जो लक्ष्य किया था उसमें आपको कितने क्यूसेट पानी की आवश्यकता थी और कितना क्यूसेट पानी आपको मिला, यह कमी क्यों आई, आपने बिजली का उत्पादन कम किया ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, टौंस रिवर में अप्रैल माह में।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, टोटल बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हर नदी का अलग–अलग बताना पड़ेगा, मैं प्रत्येक नदी का बता दूँगा।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इस लक्ष्य के हिसाब से बता दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप अपना जवाब जारी रखें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं प्रत्येक नदीवार आपको जानकारी दे दूँगा। श्रीमन्, टौंस नदी में फरवरी, 2010 की स्थिति देखें तो 34 क्यूसेक बहाव इसका था जो हमारे 2009–10 के अनुसार भी 34 क्यूसेक था, जिसके सापेक्ष छिबरो ने 23.56 मिलियन यूनिट उत्पादन किया माननीय अध्यक्ष जी, खोदरी ने 10.85 मि0यू0 उत्पादन किया। श्रीमन्, यदि हम टौंस और यमुना नदी के फरवरी, 2008–09 के बहाव को देखें तो यह 49 क्यूसेक था, जिसके सापेक्ष ढकरानी ने 4.20 मि0यू0, ढालीपुर ने 6.65 मि0यू0 और कुल्हाल ने 5.68 मि0यू0 उत्पादन किया। वर्ष 2009–10 में यह बहाव घटकर 44 हो गया जिसके सापेक्ष ढकरानी ने 4.14 मि0यू0, ढालीपुर ने 6.56 मि0यू0 और कुल्हाल ने 5.16 मि0यू0 उत्पादन किया। इसी प्रकार से गंगा नदी के बहाव को हम फरवरी माह का देखें तो यह 352 क्यूसेक था और इसके तहत जो चीला में उत्पादन हुआ 48.70 मि0यू0 और चूंकि इस वर्ष गंगा नदी में फरवरी माह में बहाव ठीक था तो यह 367 क्यूसेक बहाव था जिसके सापेक्ष हमने 253.24 मि0यू0 उत्पादन किया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पानी कितना चाहिए था ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं नदियों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से लगातार भ्रमित जवाब आ रहा है। अभी आगे और बुरा होने वाला है। पहले तो हम लोग गर्मियों के सीजन में बैंकिंग करते थे और सर्दियों के मौसम में बैंकिंग से वापिस लेते थे। इस सरकार ने इस वर्ष एडवांस में पंजाब, बंगाल और दिल्ली राज्यों से बिजली ले ली है। श्रीमन्, अब गर्मियों में इन राज्यों को बिजली वापिस करना भारी हो जायेगा। यदि आप अपने डिपार्टमेंट को दुरुस्त नहीं करेंगे और अपने डिपार्टमेंट पर निगरानी नहीं रखेंगे ये बिना रेनुवेशन के कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप लोग सही निगरानी रखेंगे तो शायद आपको सही बिजली मिलने लगेगी। श्रीमन्, 1000–1500 कि0वाट बिजली तो वैसे ही मिलने लगेगी। तीन साल हो गये हैं, कोई डी0पी0आर0 तैयार नहीं हुई है, आखिर कब तक डी0पी0आर0 तैयार हो जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य तो हम सारी योजनाओं में प्रारम्भ कर चुके हैं और कार्य प्रारम्भ करने की तिथियां भी निर्धारित हो चुकी हैं तथा कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है। जब उत्पादन प्रारम्भ होगा तो तभी हम उत्पादन के आधार पर आवश्यकतानुसार मांग पूरी कर सकेंगे। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर जवाब दे। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ तो गया है। आप क्या चाहते हैं ? (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन और माननीय चौधरी यशवीर सिंह तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन वेल के निकट आ गये और जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे मान्यवर, किसी चीज का जवाब नहीं आया है)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य जो भी जवाब चाहते हैं, हम देने को तैयार हैं। आपकी कौन सी बात का जवाब नहीं आया है। मैं प्रत्येक बात का जवाब दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपा अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय काजी0 मौ0 निजामुद्दीन जी वरिष्ठ सदस्य हैं। यह अल्पसूचित प्रश्न है और इस अल्पसूचित प्रश्न पर सरकार द्वारा इतने सारे उत्तर दे दिये गये हैं। यह कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। इसके बावजूद भी माननीय सदस्यों के हर सवाल का हमने जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई चर्चा नहीं हो रही है। अल्पसूचित प्रश्न का जवाब आ गया है।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन अपने स्थान पर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सवदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

प्रदेश के बाहर निर्माणाधीन राज्य अतिथि गृह का निर्माण एवं समयबद्धता तथा स्वीकृत धनराशि

**2–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के बाहर किन–किन राज्यों में राज्य अतिथि गृह निर्माणाधीन हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त का शिलान्यास कब–कब किया गया एवं निर्माण कार्य में कितनी लागत व्यय स्वीकृत हैं ?

क्या अनुबन्ध की निर्माण कार्यों की समयबद्धता की शर्तों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार विलम्ब से कार्य पूर्ण करने पर कोई पेनाल्टी लगायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

राज्य से बाहर नई दिल्ली एवं लखनऊ में राज्य अतिथि गृह निर्माणाधीन हैं।

नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह का शिलान्यास दिनांक 14–10–2008 को किया गया एवं उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत ₹ 1825.99 लाख है। लखनऊ स्थित राज्य अतिथि गृह का शिलान्यास दिनांक 04–10–2005 को किया गया तथा अतिथि गृह सहित उत्तराखण्ड भवन के निर्माण योजना की स्वीकृत लागत ₹ 464.54 लाख है।

दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखण्ड भवन के निर्माण के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग को निर्माण इकाई घोषित किया गया है और लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु ठेकेदार आबद्ध करते हुए निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। लखनऊ में निर्माणाधीन उत्तराखण्ड भवन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निर्माण इकाई घोषित किया गया था जिसके द्वारा निर्माण कार्य अपनी विभागीय पद्धति के अनुसार किया गया है।

नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखण्ड भवन का निर्माण कार्य विलम्ब से किये जाने पर पेनाल्टी लगाये जाने की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार की जायेगी। लखनऊ में उत्तराखण्ड भवन के निर्माण हेतु निर्माण इकाई के लिए मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में निर्माण इकाई के लिए कोई समय सीमा इंगित नहीं थी। अद्यतन प्राप्त सूचना अनुसार निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सरकार से जानना चाहा था कि राज्य सम्पत्ति के उत्तराखण्ड भवन किन–किन शहरों में बन रहे हैं ? मान्यवर, उत्तर आया, एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि लखनऊ में जो भवन बन रहा है, जिसका शिलान्यास 04–10–2005 को किया गया और सरकार द्वारा जवाब दिया गया कि कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध किया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी थी कि कितने समय में यह भवन बन कर तैयार हो जायेंगे ? यदि ये कार्यदायी संस्थाएं समय पर भवन नहीं बनाती हैं, तो इन पर सरकार क्या पेनाल्टी लेगी ?

(किसी माननीय सदस्य द्वारा बैठे–बैठे कहा गया कि इसका शिलान्यास तो तिवारी जी कर गये थे) (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, तिवारी जी के कई कामों का तो लोकार्पण कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की बात आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, ऐसे मुद्दे उठायेंगे तो ऐसा ही होगा। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, दिल्ली में जो उत्तराखण्ड भवन बन रहा है, उसका शिलान्यास 14–10–2008 को किया गया, उसमें भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी। क्या सरकार 5–5 और 10–10 साल इन उत्तराखण्ड भवनों के शिलान्यास और कार्यपूर्ण करने की अवधि मानती है। फिर उस कार्यदायी संस्था पर पेनाल्टी का कोई प्राविधान नहीं। इससे बढ़कर क्या कहें, सरकार से एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्य जब दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली में जो हमारा उत्तराखण्ड आवास है, उसमें हम लोगों को तो जगह मिलती नहीं। (व्यवधान) हम लोगों को कभी राजस्थान भवन, कभी जनपथ में, कभी अशोका होटल में भेज देते हैं। क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है ? क्या आपका अपना उत्तराखण्ड भवन समय पर बनाने का इरादा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोत सिंह जी, अपना प्रश्न कीजिए।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार दिल्ली वाले भवन को कितने समय में तैयार करेगी, कितन समय में लखनऊ वाले को तैयार करेगी और कार्यदायी संस्थाओं पर क्या पेनाल्टी लगायेंगे ? (व्यवधान) मान्यवर, अनुबन्ध में नहीं लिखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोत सिंह जी, प्रश्न कीजिए। आप अपने सदस्यों से क्यों उलझ रहे हैं ?

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, ये कब तक पूरे हो जायेंगे। इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि समय सीमा से बियोण्ड होता है तो क्या उस कार्यदायी संस्था पर कोई पेनाल्टी सरकार डालेगी और कब तक ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय जोत सिंह गुनसोला जी ने इस प्रश्न को ध्यानाकर्षण करने की दृष्टि से रखा था। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना

चाहूँगा कि लखनऊ में जो निर्माणाधीन उत्तराखण्ड भवन है, इसके लिए गोमती नगर में 2 एकड़ भूमि ₹ 5 करोड़ 98 लाख 32 हजार 7 सौ में क्रय की गयी थी और इसके लिए तत्कालीन समय में राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था चुना गया था और 27 फरवरी, 2006 की तिथि को इसके लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। यह सत्य है कि जिस समय यह शासनादेश निर्गत हुआ, उस समय इसके लिए कार्य की समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी कि कब तक इसको समाप्त करना है। लेकिन वर्तमान में इस कार्य को तत्काल प्रभाव से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके चलते कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि वह कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। लेकिन इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर जो धनराशि व्यय होनी थी, उसके आधार पर इस कार्य को पूर्ण किये जाने के उपरान्त इसमें कुछ निर्णय लिए जाने हैं कि किस तरह से इस भवन का संचालन होगा, उसके उपरान्त ही प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा। इसी प्रकार से जो दूसरा विषय माननीय सदस्य ने पूछा कि चाणक्यपुरी स्थित जो निर्माणाधीन उत्तराखण्ड भवन है, इस परियोजना की लागत ₹ 18 करोड़, 25 लाख, 99 हजार है। इसमें जो अनुबन्ध किया गया, उसके निष्पादन हेतु ₹ 9 करोड़ 48 लाख सिविल कार्य हेतु रखा गया है, साथ ही इसमें पेनाल्टी का प्राविधान भी किया गया है और इस कार्य को 01–09–2010 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महू भाई''–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देहरादून के रेसकोर्स में एक नया भवन बना है। क्या उस भवन को राज्य अतिथि गृह में परिवर्तित किया जायेगा और यदि परिवर्तित किया जायेगा तो क्या उसमें माननीय विधायकों के अतिथियों को रियायती दरों पर कमरे दिये जायेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह नीतिगत निर्णय सम्यक् विचारोपरान्त लिया जायेगा।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने मुम्बई में जो जमीन राज्य अतिथि गृह निर्माण के लिये खरीदी है, उस पर कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा और कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वासी, नवी मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन के लिये भूमि क्रय की गई थी, यह 4000 वर्ग मीटर का भूखण्ड ₹ 3 करोड़ की लागत से क्रय किया गया था। वर्तमान में इसकी दाखिल–खारिज हो चुकी है और इसकी चहारदीवारी के निर्माण के लिये ₹ 17.79 लाख स्वीकृत किया गया है तथा इसके लिये कार्यदायी संस्था अवस्थापना विकास निगम को

घोषित किया गया है। चूंकि इस भूखण्ड के लिये जो लीज डीड हुई है, उस लीज डीड के आधार पर 5 वर्ष के भीतर राज्य अतिथि गृह और इम्पोरियम का निर्माण किया जाना है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति इसमें शीघ्र मिल जाये और इसके आधार पर इसका निर्माण किया जा सके।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश की राजधानी में राज्य अतिथि गृह का निर्माण चल रहा है, हमारी पूर्व राजधानी में राज्य अतिथि गृह का निर्माण हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी में राज्य अतिथि गृह का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश की अस्थाई राजधानी में राज्य अतिथि गृह का निर्माण हो चुका है। उत्तराखण्ड की 67 प्रतिशत जनता ने जिस क्षेत्र को राजधानी के रूप में माना है, वहां पर भी राज्य अतिथि गृह के निर्माण का निर्णय सरकार कब तक लेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस पर वर्तमान तक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, सारे देश में हम राज्य अतिथि गृहों का निर्माण कर रहे हैं, जिस स्थान पर उत्तराखण्ड की जनता ने राजधानी माना है, वहां पर राज्य अतिथि गृह के निर्माण का कब तक सरकार निर्णय लेगी ? (व्यवधान) सरकार इस पर निर्णय लेगी या नहीं ? मुझे इसका उत्तर चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है और उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने अवगत कराया कि आज की तारीख तक कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, कल क्या होगा, कल तो भविष्य के गर्भ में है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ कि कार्य प्रारम्भ के समय जो स्वीकृत धनराशि थी, क्या उसमें निर्माण कार्य कर दिया जायेगा ? (व्यवधान) मान्यवर, दो कार्य हैं, एक लखनऊ वाला और दूसरा नई दिल्ली वाला, इनके लिये जो प्राक्कलन बनाया गया था, जो स्वीकृत धनराशि थी, क्या उस स्वीकृत धनराशि में ही यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यदि कार्य पूर्ण नहीं किया जायेगा तो उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ? मान्यवर, क्योंकि समय अवधि बढ़ गयी है, समय अवधि क्यों बढ़ी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ वाला जहां तक विषय है, उसके लिये 22–10–2007 को डी0पी0आर0 स्वीकृत हुयी थी। उसके तहत ₹ 4 करोड़ 64 लाख 54 हजार स्वीकृत हुआ था। श्रीमन्, और इसके तहत अभी तक ₹ 4 करोड़ 50 लाख निर्गत हो गया है और कार्यदायी संस्था ने कार्य पूर्ण कर लिया है और अभी वर्तमान में ₹ 14 लाख 54 हजार उसका भुगतान होना है। श्रीमन्, और इसी तरह से श्रीमन्, जो दिल्ली वाला निर्माणाधीन उत्तराखण्ड निवास है। इसके लिए परियोजना की लागत ₹ 18 करोड़ 25 लाख 99 हजार है और इसका ये कार्य अगर अपूर्ण छोड़ देता है, छोड़ दिया जाता है जो इसमें जमानत की राशि जब्त करने का प्रावधान उसमें किया गया है और इसके साथ–साथ यदि कार्य सम्पादन में विलम्ब हो तो विलम्ब का कारण औचित्यपूर्ण हो तो समय वृद्धि की जायेगी, परन्तु यदि औचित्यपूर्ण न हो तो 1 से 5 प्रतिशत तक पेनाल्टी लगायी जायेगी और 01–09–2010 इसकी अन्तिम तिथि है कार्य पूर्ण करने की।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहती हूँ कि जो दिल्ली के उत्तराखण्ड भवन में माननीय विधायकों को जगह न मिलने के उपरान्त जो उनको विभिन्न होटलों में भेजा जाता है, उसमें सरकार के ऊपर कितना व्यय भार पड़ रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस प्रश्न के दायरे में नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि लखनऊ राज्य अतिथि गृह का शिलान्यास 04–10–2005 को किया गया, इसके कार्य समाप्ति की अवधि क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

काम पूरा हो गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका कार्य तो पूर्ण हो गया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार मसूरी में भी राज्य अतिथि गृह बनाने जा रही है ? अगर जा रही है तो उसका निर्णय कब हुआ है और वो कब इस कार्य को पूर्ण करेगी और इसमें क्या प्रगति हुई है, इसको अवगत कराएं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि ये अल्पसूचित प्रश्न है और चर्चा विषय पर हो रही है। चूँकि मसूरी का उल्लेख आपने प्रश्न में नहीं किया है। अगर आप जानकारी चाहेंगे तो मैं पृथक से, मेरे पास जानकारी है, मैं उपलब्ध करा दूँगा।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।

*2–श्री खडक सिंह बोहरा–

तृतीय मंगलवार के ता0 05 में स्थानान्तरित।

*3–श्री मयूख सिंह–

चतुर्थ बुधवार तक स्थगित।

प्रदेश स्थित चीनी मिलों की पेराई क्षमता एवं आवंटित गन्ना कमाण्ड एरिया का विवरण

*4–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता कितनी–कितनी है तथा इन चीनी मिलों को गन्ना कमाण्ड एरिया कुल कितना आवंटित है ?

क्या प्रत्येक चीनी मिल को उसकी क्षमता के अनुरूप पिराई हेतु कमाण्ड क्षेत्र से गन्ना मिल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई सार्थक निर्णय लेगी ताकि चीनी मिलों को बन्द होने से बचाया जा सके ?

गन्ना विकास, नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता निम्नवत है–

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	पेराई क्षमता (टी0सी0डी0)
1.	बाजपुर	4000
2.	सितारगंज	2500
3.	गदरपुर	2500
4.	नादेही	2000
5.	किच्छा	4000
6.	डोईवाला	2500
7.	लक्सर	7000
8.	लिब्बरहेड़ी	5000
9.	इकबालपुर	4000
10.	काशीपुर	4000

देहरादून जनपद की डोईवाला चीनी मिल को पेराई सत्र 2009–10 हेतु कुल 8480 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल आवंटित किया गया है।

वर्तमान में राज्य की चीनी मिलों को उनकी क्षमता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि गन्ना कमाण्ड एरिया इस प्रदेश के अन्दर कुल कितना है, इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि देहरादून जिले के अन्दर डोईवाला चीनी मिल की पेराई 2009–10 के लिए 8,480 हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल आवंटित किया गया है और एक उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि डोईवाला चीनी मिल की पेराई क्षमता 2,500 टी0सी0डी0 है। क्या 8,480 हेक्टेयर गन्ना कमाण्ड क्षेत्र, जो डोईवाला को आवंटित किया गया है, 2,500 टी0सी0डी0 पूरा उपलब्ध कराता है या इस क्षेत्र, से बाहर से भी गन्ना डोईवाला मिल के अन्दर पेराई के लिए उपलब्ध होता है ? ये बतायें ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जितनी क्षमता है, उसके बाद हमने कहा कि क्षमता ढाई हजार है, जो कुल हेक्टेयर क्षेत्रफल है वह 8480 है। इस 8480 में जो बाहर की बात है उसमें देहरादून में डोईवाला का क्षेत्र है वह 5055 है और हरिद्वार में 3425 है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि वर्तमान में राज्य की चीनी मिलों को उनकी क्षमता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, अगर गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो क्या गन्ना के जो सीमावर्ती जनपद हैं, चीनी मिलें हैं क्या उत्तराखण्ड का गन्ना वहाँ पर जा रहा है, जा रहा है तो कितना जा रहा है ? दूसरा यदि कमाण्ड एरिया कम हो रहा है तो यह क्यों कम हो रहा है, इसके क्या कारण हैं ? सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ? मान्यवर, यह किसानों का बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय जो कमाण्ड एरिया जिस राज्य में जिस चीनी मिल का था, राज्य निर्माण के बाद भी यह निर्णय लिया गया था कि वह कमाण्ड एरिया रहेगा। वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश की चीनी मिल हैं उत्तराखण्ड राज्य से जो क्षेत्रफल उनको दिया गया है उसमें साकुंबरी है उसको 239 हेक्टेयर का क्षेत्रफल उत्तराखण्ड राज्य से दिया गया है, गागालेड़ी में 359 हेक्टेयर क्षेत्रफल दिया गया है। इस राज्य का टोटल 598 हेक्टेयर क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को दिया गया है।

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, मैंने इसमें और भी कहा है, इसका जो कमाण्ड एरिया कम हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, क्या सरकार इसके लिए उपाय करेगी ? दूसरा क्या उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलों को गन्ना गया या अन्य क्रेशरों को गया, हमारे यहाँ की सरकार ने जो दाम गन्ने के घोषित किये थे, क्या उत्तर प्रदेश से उस समय वह ज्यादा थे, हमारा बहुत सारा गन्ना उत्तर प्रदेश में तो पहले ही चला गया, यहाँ पर गन्ने के दाम कम मिल रहे थे किसानों को और उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिल रहे थे, उस समय सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की इसलिए बहुत सारा गन्ना उस समय वहाँ पर भी गया।

श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने बड़ी चिन्ता की और देश में सर्वाधिक गन्ने का मूल्य घोषित किया। मान्यवर, जहाँ तक सवाल है क्षेत्रफल कम होने के क्या कारण हैं, क्षेत्रफल कम होने के जो कारण हैं, इसमें निश्चित रूप से पिछले दो—तीन वर्षों में चीनी का पूरे देश के अन्दर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के दामों में जो गिरावट आयी है, किसानों का स्वयं ही जो गन्ना का क्षेत्रफल कम रहा है, पहले सालों की अपेक्षा। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, जो अनुबन्ध की बात कही गयी है, यह कब हुआ था और कितने समय के लिए हुआ था ? क्योंकि बहुत समय हो गया, मेरी जानकारी के अनुसार उस अनुबन्ध का समय खत्म हो गया है, उत्तर प्रदेश गन्ना जा रहा है, अन्य को भी गन्ना दिया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, यह एक सतत प्रक्रिया है, हर साल इसको हम करते हैं, कमिश्नर गन्ने को यह अधिकार धारा—16 (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, यह अनुबन्ध कब हुआ और अनुबन्ध की समय सीमा क्या है ?

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, जो कमाण्ड एरिया तय हुआ था परस्पर गुंण—दोष के आधार पर, कि इस साल हमको क्या करना है, जो हमारा शूगर केन एक्ट है उसकी धारा—16 और 15 में इस प्रकार का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश गन्ना खरीद एवं पूर्ति अधिनियम की धारा 16 की उप धारा 2 और धारा 15 में इस तरह का प्राविधान है कि हर साल यहाँ के गन्ना कमिश्नर अपने मिलों के हिसाब से इसको करते हैं, इस प्रकार हमें उत्तर प्रदेश से कितना लेना है, फिर दोनों की बैठक करते हैं, हम उनको कितना देंगे और वह हमें कितना देंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पाँच साल तक गन्ने का अनुबन्ध रहेगा, मान्यवर, मैंने अनुबन्ध के बारे में पूछा, कुछ समय तो बतायें ? मान्यवर, अनुबन्ध के बारे में पूछा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी बता तो रहे हैं, हर साल होता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, जब राज्य बना तो जो क्षेत्र जिस मिल के कमाण्ड एरिया में था उसको मान लिया गया कि यह इस क्षेत्र का चीनी मिल का क्षेत्र रहेगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष गन्ने के आवंटन के सम्बन्ध में एक बैठक उत्तर प्रदेश में होती है और एक बैठक उत्तराखण्ड में होती है। फिर दोनों की बैठक संयुक्त रूप से होती है तो हम उनको बताते हैं कि इतना एरिया हम आपको देंगे और वे हम बताते हैं कि इतना एरिया हम आपको देंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, शासन लेबल पर अनुबन्ध कब और किस तारीख को हुआ ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बता तो रहा हूँ। हर साल अनुबन्ध होता है, तो तारीख कैसे बता दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हर साल होता है तो तारीख बात बता दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, शान्ति रखें। गुस्सा मत करें। [XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ और श्री दिनेश अग्रवाल अपने–अपने स्थान से निकलकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

नोटः–[XXX] यह शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

[XXX] शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्यार की भाषा है।

श्री अध्यक्ष–

अगर प्यार की बात नहीं है तो कार्यवाही से निकाल दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जवाब चाहिए। अनुबन्ध के बारे में पूछ रहा हूँ, मंत्री जी बता रहे हैं कि हर वर्ष सरकार अनुबन्ध करती है। तो मान्यवर, मंत्री जी अनुबन्ध की तारीख बता दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बता तो रहा हूँ हर साल अनुबन्ध होता है। (घोर व्यवधान) मान्यवर, राज्य बनने के बाद जो एरिया जिस मिल के कमाण्ड क्षेत्र में था।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जब राज्य बना तो अनुबन्ध हुआ। तो वह कब हुआ कितने समय के लिए हुआ और उसके बाद अनुबन्ध की प्रक्रिया क्या है ?

श्री मदन कौशिक–

श्रीमन्, बता तो रहा हूँ। मान्यवर, एक अनुबन्ध हुआ कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड की जो चीनी मिलें हैं, जो कमाण्ड एरिया उसका गन्ना उसी रूप में एक–दूसरे को उसी रूप में देती रहेगी। यह पाँच साल के लिए हुआ। लेकिन उसके बाद प्रत्येक वर्ष बैठक होती है और बैठक के आधार पर .... (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यही गड़बड़ है। मान्यवर, इसमें भ्रष्टाचार है। कौन तय करेगा। हर वर्ष सरकार तय करेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यदि भ्रष्टाचार है तो बतायें। सरकार जाँच करेगी। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी जाँच करो। कार्यवाही हम करेंगे। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नोट–[XXX] यह शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मंत्री जी ने माना कि चीनी मिलों को उनकी क्षमता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यकीनन ये मिलों को चलाने के लिए गन्ना अपने कमाण्ड एरिया के बाहर से ही ले रहे होंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चीनी मिलें जो गन्ना अपने कमाण्ड एरिया और कमाण्ड एरिया से बाहर का खरीद रही हैं, क्या दोनों के मूल्यों में, दर में, कोई फर्क है ? मान्यवर, चीनी मिलें कुछ कम ज्यादा दर पर खरीद–फरोख्त कर रही हैं। प्रक्रिया क्या है कमाण्ड एरिया से बाहर का गन्ना खरीदने की ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मूल प्रश्न कमाण्ड एरिया से सम्बन्धित है। मूल्य से सम्बन्धित नहीं है। आप अलग से पूछेंगे जवाब बता दूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

काजी जी, आप फिर से पूछ लें।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है जब चीनी मिलों को गन्ना नहीं मिल पा रहा है। सरकार खुद कह रही है तो मिलों को चलाने के लिए गन्ना जरूर ले रहे होंगे। अगर ले रहे हैं तो किस प्रक्रिया के तहत ले रहे हैं, कमाण्ड एरिया से बाहर। अगर बाहर से ले रहे हैं तो कमाण्ड एरिया के बाहर और कमाण्ड एरिया से जो गन्ना लेते हैं उसके मूल्य में अन्तर है। अन्तर है तो कितना है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, राज्य सरकार ने हर मिल को कमाण्ड एरिया निर्धारित किया हुआ है। राज्य सरकार ने मूल्य निर्धारित किया। राज्य सरकार ने कहा कि 192–197 का मूल्य राज्य सरकार का रहेगा। इससे अलग राज्य सरकार ने कहा कि 2 से 15–20 तक सभी मिलों के साथ बैठक होने के बाद कहा कि इतना हम बोनस देंगे। यह गन्ना मूल्य हो गया। मान्यवर, आप चीनी के दाम में अगर बोनस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने हर मिल को यह अधिकार दिया, मिलों ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने बोनस को कुछ मात्रा में बढ़ाया होगा और किसी ने कुछ मात्रा में ज्यादा बढ़ाया होगा। मान्यवर, अब ये अलग से सवाल पूछेंगे तो उसके बारे में हम बतायेंगे। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जब उत्तराखण्ड बना तो उस समय एम0ओ0यू0 हुआ कि जो कमाण्ड एरिया उत्तर प्रदेश का है वह उत्तराखण्ड को मिलता रहेगा।

मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि उस समय कमाण्ड एरिया उत्तर प्रदेश का उत्तराखण्ड को मिला और आज की स्थिति क्या है ? दूसरा मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कमाण्ड एरिया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय उच्चतम न्यायालय में विभिन्न वाद पिछले आठ साल से चल रहे हैं और जानना चाहूँगा कि ऐसे कितने वाद इस समय माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं ? कितने वादों का निर्णय उत्तराखण्ड सरकार के पक्ष में हुआ ? कितनी धनराशि विभिन्न चीनी मिलों ने मुकदमों में या वादों में खर्च की ? क्योंकि यह कमाण्ड एरिया के सम्बन्ध में है। मान्यवर, क्योंकि मेरी स्पष्ट जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अगर नयी चीनी मिलें बार्डर पर स्थापित हुई, तो अगर कोई आदमी कत्ल कर देता है तो उसको सजा न मिले ऐसा नहीं होता, अगर नयी चीनी मिलें स्थापित हो गयी तो पुरानी चीनी मिलों का गला घोट दिया जाय यह नहीं होगा, उन्होंने वह केश रैफर करा कर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को...............।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न तो करें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

मान्यवर, एक दो मिनट इसके बारे में बता दूँ नहीं तो प्रश्न का पता नहीं चलता है, वह रैफर किया गया पुनर्विचार के लिए, उच्च न्यायालय में, जब उच्च न्यायालय में वह वाद आया तो प्रदेश सरकार के मिलों के अधिवक्ता थे, उन्होंने उस पर कोई शब्द नहीं बोला, उस निर्णयों में यह लिखा गया है कि प्रदेश सरकार के कौंसिल ने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया, इस कारण जो हमारा कमाण्ड एरिया उत्तर प्रदेश का पन्द्रह किलोमीटर का था वह सब घट गया है। हमारी मिलें आज मरण की स्थिति में आ गयी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड का गठन हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश की कितनी कमाण्ड एरिया हमारे चीनी मिलों में था और सरकार की कमी के कारण आज वह कितना रह गया ? मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जिस समय राज्य का निर्माण हुआ उस समय हमने जो उत्तर प्रदेश को कमाण्ड एरिया दिया था वह 6126 हेक्टेयर था, जो हमको प्राप्त हुआ वह 15320 हेक्टेयर था वह पाँच साल के लिए था, वर्ष 2006 में जो तत्कालीन सरकार थी उसको रिवाइव करना चाहिए था, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा घोटाला हुआ, जिस प्रकार से माननीय तिलक जी ने कहा कि कहीं न कहीं किसी स्तर पर घोटाला हुआ होगा कहा, (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यदि घोटाले हुए हैं तो माननीय मंत्री जी जांच की घोषणा कर दें। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बात तो आने दीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वह वर्ष 2006 में समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद फिर वर्ष दर वर्ष इस प्रकार से एक बैठक हमारे यहां और एक बैठक उनके वहां होती है, इस प्रकार उस कमाण्ड एरिया का निर्धारण करते हैं। (व्यवधान के मध्य)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, मैंने पूछा कि उस समय उत्तर प्रदेश में कितना कमाण्ड एरिया था और आज कितना है ? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी केवल इतना बता दें कि कमाण्ड एरिया पहले कितना था और अब कितना है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पहले 6126 हेक्टेयर था वर्तमान में 592 हेक्टेयर है, जो उत्तर प्रदेश के समय में पहले मिलता था वह 15320 था अब 2609 है। (घोर व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं यही बात इंगित कराना चाह रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश था तो पहले 15 हजार था, आज मात्र दो हजार रह गया है। (कई सदस्य के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वह वर्ष 2006 में ही समाप्त हो गया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गए और अपनी–अपनी बात कहने लगे) जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जितने सवाल माननीय सदस्य पूछ रहे हैं उसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। प्रत्येक सवाल का उत्तर आ रहा है। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्यगणों की मांग क्या है, जबकि प्रश्नों का पूरा उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*5–श्री ओम गोपाल–

स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।

अतारांकित प्रश्न

जनपद देहरादून अन्तर्गत ध्वस्त किये गये सूडा–डूडा कार्यालय पर पार्किंग व्यवस्था

1–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून अन्तर्गत दिलाराम बाजार में सूडा डूडा ध्वस्त किये गये कार्यालय पर पार्किंग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित था ?

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व में स्वीकृत दिलाराम बाजार में सूडा डूडा ध्वस्त किये गये कार्यालय पर पार्किंग की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

प्रकरण नगर निगम, देहरादून स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत भवाली नगर पालिका परिषद् को आर्थिक सहायता

2–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जनपद की भवाली नगर पालिका परिषद की आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जर है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नगर पालिका परिषद को आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, भवाली को ₹ 50.00 लाख की धनराशि दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल के रामलीला मैदान का अधिग्रहण

3–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय भ्रमण के दौरान दिनांक 21–02–2009 को नैनीताल जनपद की पर्यटन नगरी भीमताल के ऐतिहासिक एवं पौराणिक रामलीला मैदान को अधिग्रहण करने की घोषणा भीमताल क्षेत्र की जनता के हित में की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक कोई धनराशि अवमुक्त की गयी है ?

यदि नहीं, तो कब तक इस मैदान के अधिग्रहण की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी नहीं।

भीमताल के ऐतिहासिक एवं पौराणिक रामलीला मैदान के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु प्रस्ताव/आंगणन गठित कराया जा रहा है।

प्रदेश की नगर पालिका परिषद् व नगर पंचायतों का सीमांकन एवं मसूरी नगर पालिका के मुनारों की स्थिति

4–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की समस्त नगर पालिका परिषद् व नगर पंचायतों का कोई व्यवहारिक सीमांकन अधिसूचित किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी नगर पालिका परिषद की सीमाओं के मुनारों की स्थिति क्या है ? क्या मुनारों की स्थिति ठीक नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मुनारों (सीमाओं के प्रतीक) को रिकार्ड के आधार पर सही किया जायेगा, जिससे नगर पालिका परिषद मसूरी के अन्तर्गत कुल भूमि का पता चला सके ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

मुनारों की स्थिति ठीक नहीं है।

पश्चातवर्ती तिथि में सत्यापन के आधार पर सम्बन्धित प्रस्ताव को नगर पालिका परिषद् के सदन के विचारार्थ रखा जा सकता है।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री बलबीर सिंह नेगी तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार हुई। श्री बलबीर सिंह नेगी जी। (घोर व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, अभी उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ गया है, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, कमाण्ड एरिया का जवाब ही नहीं आया। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक कि अनुमति नहीं मिलती है। (घोर व्यवधान)

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में टिहरी सिंचाई खण्ड के अन्तर्गत कोठियाड़ा नहर के क्षतिग्रस्त होने से काश्तकारों को हो रही क्षति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में टिहरी सिंचाई खण्ड के अन्तर्गत कोठियाड़ा नहर पर्वतीय क्षेत्र की दूसरी सबसे लम्बी नहर है, जिसकी लम्बाई करीब 16 कि0मी0 है, इससे पूर्व में टेल (अन्तिम छोर) तक सिंचाई होती थी किन्तु वर्तमान में पिछले कई वर्षों से मात्र 8 कि0मी0 तक की सिंचाई हो पा रही है, फलस्वरूप ग्राम पंचायत मयकोट, कोठियाड़ा, खोला, कोठगा, गंगनहर की कई एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है क्योंकि नहर जगह–जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें सिंचाई के लिए पानी चलाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, फलस्वरूप कास्तकारों की सिंचित भूमि सिंचाई से वंचित है। इस कारण कास्तकारों को गम्भीर क्षति हो रही है और उत्पादन में प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

अतः इस अति लोक महत्व की सूचना पर नियम–300 के अन्तर्गत आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण में गौरा देवी कन्या धन योजना में पात्र कन्याओं को लाभ न मिल पाने व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण जनपद अल्मोड़ा में गौरादेवी कन्याधन जैसी लोक कल्याणकारी योजना में पात्रता की सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त भी

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवेदन करने वाली अनेकों कन्याओं को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप जहाँ वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं वहीं समाज में भी सरकार के प्रति अविश्वसनीयता की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि सरकार ठोस कार्यवाही करते हुए सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का पूर्ण लाभ प्रदान करें।]

*डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यमुनोत्री के माननीय विधायक श्री केदार सिंह रावत जी पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की समस्या को लेकर विधान सभा के सम्मुख धरने पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में सूचना दे रखी है, उसमें विचार कर लेंगे।

*श्री शहजाद–

मान्यवर, पिछड़े क्षेत्र के नाम पर हरिद्वार की पिछड़ी जाति के साथ उनको घोषित करने की बात कही गई या घोषित किया गया तो हम निश्चय कर रहे हैं, पिछड़ी जाति के लोग कि हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसमें जान की आहूति देनी पड़े। (घोर व्यवधान)

नियम–310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा0 हरक सिंह जी, आपने नियम–58 में सूचना दे रखी है तो उसमें विचार कर लेंगे। (व्यवधान) आज नियम–310 के अन्तर्गत प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिये जाने में किए गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय डा0 हरक सिंह रावत, श्रीमती अमृता रावत, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री तिलक राज बेहड़, श्री राजेश जुवाँठा की है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये)

दूसरी सूचना सिटूरगिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश स्थित कारखाने की भूमि उपयोग परिवर्तन में किए गये निर्णय से राज्य के आर्थिक हितों की उपेक्षा तथा गम्भीर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय श्री गोपाल सिंह राणा, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल, श्री प्रीतम सिंह की है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–310 के अन्तर्गत हरिद्वार के महाकुम्भ आयोजन में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त ₹ 500 करोड़ की धनराशि के दुरूपयोग तथा गम्भीर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। (व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी द्वारा कुछ कहे जाने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं बता तो रहा हूँ, जो सूचनाएं मेरे पास हैं। आप मेरी बात को सुन लें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह उचित बात नहीं है। मैंने अभी सूचनाओं को पढ़कर सुनाया है और सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये। अगर आप सूचनाओं को लेना नहीं चाहते हैं तो मैं सदन की कार्यवाही को 12:30 (साढ़े बारह बजे) बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 01:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 1 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्य वेल में बैठे थे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने सदस्यों को अपना–अपना स्थान ग्रहण करने को कहें। जो बात कहनी हो, वह अपने स्थान से ही कहें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष अनुरोध करना चाहते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी ने टिहरी और उत्तरकाशी जनपद की समस्याओं को लेकर सरकार को भी, आपको भी और हमारे सभी सदस्यों के संज्ञान में लाया गया था। साथ ही यह भी संज्ञान में लाया गया था कि

वह आज से सदन के सम्मुख आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस सम्बन्ध में कल 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है और लिखित रूप से सरकार की ओर से आज सुबह जब हमारे विधान मण्डल दल की बैठक थी, माननीय किशोर उपाध्याय जी की समस्याओं पर लिखित आश्वासन सरकार की ओर से मिला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लिखित आश्वासन सरकार ने माननीय किशोर उपाध्याय जी और हमको दिया है, लिखित आश्वासन के तद्नुसार सरकार उस पर भविष्य में कार्यवाही करेगी। यह निवेदन मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी ने जो नोटिस माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सदन को आज नियम–310 के तहत उपलब्ध कराया है। श्रीमन्, इस पर काफी विस्तार से चर्चा हेतु दिनांक 16 मार्च, 2010 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ और माननीय किशोर उपाध्याय जी द्वारा जो 18 बिन्दु इस नोटिस के माध्यम से उठाये गये थे, उनके सम्बन्ध में काफी विस्तार से चर्चा हुई उस चर्चा का कार्यवृत्त माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसके तहत कतिपय निर्णय लिये गये हैं और उन निर्णयों पर प्रभावी कार्यवाही हो, ऐसा हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। मैं माननीय सदस्य और माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह कृपया अपने आसन पर विराजमान हो जाँय और सदन की कार्यवाही विधिवत् संचालित करने दें। चूंकि हम सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस प्रकरण पर पूरी तरह से संवेदनशील हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि सरकार के लिखित आश्वासन पर और सदन में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर, जो उन्होंने आज से अनशन शुरू करने का निर्णय लिया था, उसको स्थगित कर दें। यह विश्वास मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से अपने सम्मानित सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी को दिलाना चाहता हूँ कि इन समस्याओं के समाधान में पूरा विधान मण्डल दल और मेरी शहजाद जी से भी बात हुई है, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण पूर्ववत 'वेल' में बैठे रहे)

मान्यवर, सभी विधायक टिहरी और उत्तरकाशी की समस्याओं में आपके साथ खड़े हैं और भविष्य में सरकार के द्वारा दिये गये आश्वासन पर अगर गम्भीरता से अमल नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि हम आपकी इस लड़ाई में उस टिहरी और उत्तरकाशी की समस्याओं के निदान में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह शोभा नहीं देता है। यह स्थान आपका नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी द्वारा 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर बोलें तो सही, तभी गुणावगुण के आधार पर...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) नियम–310 से मतलब नहीं है, नियम–310 के अन्तर्गत आ ही नहीं रहा है। ये नियम–310 की परिधि में नहीं आ रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और जो माननीय सदस्य ने अव्यवस्थित सदन में बात कही है, उसका भी संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हुई। (घोर व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री तिलक राज बेहड़, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री राजेश जुवांठा की है जो प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिये जाने में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री रणजीत रावत तथा श्री प्रीतम सिंह की है जो, सिटूरगिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश स्थित कारखाने की भूमि उपयोग परिवर्तन में किए गये निर्णय से राज्य के आर्थिक हितों की उपेक्षा तथा गम्भीर

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल, श्री रणजीत रावत, श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल, श्री तिलकराज बेहड़ तथा कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' की है, जो हरिद्वार के महाकुम्भ आयोजन में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त ₹ 500 करोड़ की धनराशि के दुरूपयोग तथा गम्भीर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल तथा श्री जोत सिंह गुनसोला की है जो, जनपद देहरादून के अन्तर्गत स्थित एम0पी0जी0 कालेज की प्रबन्ध समिति ने दिनांक 16–03–2010 को एक सन्दर्भ में प्रस्ताव पारित किया कि श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को 32 बीघा भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना माननीय सदस्य श्री करन मेहरा, श्री मयूख सिंह तथा श्री मनोज तिवारी की है जो, काशीपुर में सर्वती एनर्जी पावर प्रोजेक्ट को उद्योग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय की है जो, टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र की विकास कार्यों में की जा रही उपेक्षा के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना उत्तराखण्ड में नियमों व शासनादेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार ने एक उद्योगपति के स्वामित्व वाली स्टेडिया केमिकल कम्पनी जो ऋषिकेश में स्थित है, यह सूचना पहले आ चुकी है। जो विभिन्न माननीय सदस्यों के द्वारा दी गयी हैं।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) (घोर व्यवधान)

नियम–310 के अन्तर्गत चौथी सूचना श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री दिनेश अग्रवाल की, जो एम0पी0जी0 कालेज के सम्बन्ध में है, इस सम्बन्ध में 11–03–2010 को अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित हो चुका है, अतः इसे मैं अस्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार से पाँचवीं तथा छठी सूचना नियम–310 की परिधि में नहीं आती है इनको मैं अस्वीकार करता हूँ तथा सातवीं सूचना और दूसरी सूचना का विषय एक होने के कारण सातवीं सूचना को मैं दूसरी सूचना से सम्बद्ध करता हूँ। पहली सूचना जो प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिये जाने में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना जो सिटूरगिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश स्थित कारखाने की भूमि उपयोग परिवर्तन में किए गये निर्णय से राज्य के आर्थिक हितों की उपेक्षा तथा गम्भीर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है और तीसरी सूचना जो हरिद्वार के महाकुम्भ आयोजन में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त ₹ 500 करोड़ की धनराशि के दुरूपयोग तथा गम्भीर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, इन तीनों सूचनाओं को मैं अपराह्न में बजट के पश्चात् ग्राह्यता पर सुन लूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में राम गंगा नदी पर ग्राम झलां हेतु ग्राम भटकोट से लड्डूमणि नाम स्थान पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में राम गंगा नदी पर ग्राम झलां हेतु ग्राम भटकोट से लड्डूमणि नामक स्थान पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री श्याम सिंह मेहरा, पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी ग्राम झलां, पो0 धामदेवल, तहसील चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम सभा चुलेरासीम के अन्तर्गत पालगबाड़ी एवं चुलेरासीम के बीच राम गंगा नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद अल्मोड़ा के ग्राम सभा चुलेरासीम के अन्तर्गत पालगबाड़ी एवं चुलेरासीम के बीच रामगंगा नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री विरेन्द्र सिंह बिष्ट, पुत्र श्री नन्दन सिंह, निवासी ग्राम ढोन, पो0 भटकोट, चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम सभा झलां कारचूली हेतु चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग के अन्तर्गत भट्टकोट नाले से रामगंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद अल्मोड़ा के ग्राम सभा झला कारचूली हेतु चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग के अन्तर्गत भट्टकोट नाले से रामगंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मनोज शर्मा, पुत्र श्री कृष्णानन्द शर्मा, निवासी ग्राम पीपलधार, पो0 गनाई, तहसील चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना द्वारा नियम–66 के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय समाचार पत्र' के विरुद्ध अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी मद संख्या–8 में अवमानना की एक नोटिस है।

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना आ गई है, इसका परीक्षण करा रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक विशेषाधिकार की सूचना सभी की तरफ से रख रहा हूँ, आज पूरे प्रदेश में प्रोटोकाल का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है सभी विधायक हैं.......।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में किसी थाने में प्रोटोकाल का पालन नहीं हो रहा है। ये सरकार की विफलता है कि सरकार प्रोटोकाल का पालन नहीं करा पा रही है। (घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी बात को जोर–जोर से कहते रहे)

(घोर व्यवधान)

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010

*पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड, सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत डा0 हरक सिंह रावत, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री रणजीत सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह, श्री नारायण पाल तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से डा0 हरक सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं। डा0 हरक सिंह रावत जी, नियम–58 के अन्तर्गत अपने विचार रखें। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात तो सुन लें पूरे प्रदेश में विधायकों का सम्मान नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे लिखित में देंगे तभी तो बात करेंगे। आपकी सूचना अपने–आप में बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय शहजाद जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपनी सूचना लिखित में दे दें। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय सदस्यों से अनुरोध कर लें कि वे सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, सदन तो व्यवस्थित हो जाए। क्योंकि जैसा आपने कहा वैसा माननीय अध्यक्ष जी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया है, सदाशयता दिखाई है और बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् नियम–310 में ग्राह्यता पर सुनने का विनिश्चित माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, नियम–310 में ग्राह्यता पर सुनेंगे। ग्राह्यता पर नियम–310 की बात सुनेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

अध्यक्ष जी द्वारा विनिश्चय दिया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, जब आपको सुनेंगे नहीं तब तक अनुमति कैसे देंगे। नियमों में जो प्राविधान है उसी के अनुसार तो सदन चलेगा। मेरा पुनः अनुरोध है कि माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

('वेल' में बैठे एक सदस्य द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर सुनेंगे। किसने निर्णय दे दिया।

श्री प्रकाश पन्त–

निर्णय कहाँ से दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विषय रखा और उस पर सरकार ने कहा कि कल बैठक हुई है और बैठक में जो निर्णय लिए हैं, उन पर कार्यवाही की जायेगी। इसमें निर्णय कौन सा हो गया।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह नियम–310 से सम्बन्धित नहीं है। वह तो मैं अग्राह्य कर चुका हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उसके बारे में सदन को अवगत कराया है कि कल बैठक में क्या निर्णय हुए हैं। कल जो बैठक में निर्णय हुए हैं उसके बारे में सम्मानित सदन को अवगत कराया है। इसमें कौन सा निर्णय हो गया। अनावश्यक बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

(पूर्ववत् माननीय सदस्य 'वेल' में बैठकर अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सहमत होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने हैं और सारी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उन विषय पर क्या चर्चा हुई, क्या विषय आये और क्या निर्णय हुए, अगर ऐसी स्थिति रही तो बहुत दुखदायी स्थिति होगी, इसलिए मैं आपसे सहयोग चाहूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सदन तो सारे विषयों पर चर्चा के लिए होता है, सदन आन्दोलन के लिए नहीं होता है, आन्दोलन के लिए और कई उपाय हैं। श्रीमन्, सदन के अन्दर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूँ, कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया अपने सभी माननीय सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने के लिए कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने जब नियम–310 की ग्राह्यता पर सुनने के लिए कह दिया है और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, आप ही बतायें। आप विषय पर न तो बोलना चाहते हैं और न ही चर्चा करवाना चाहते हैं, केवल सदन का कार्य व्यवधानित करना चाहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान) मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बात बोल रहा हूँ, श्रीमन्, नियम–58 और नियम–310 में अन्तर है, (व्यवधान) आप बतायें तो सही किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। जब आप ग्राह्यता पर बोलेंगे तभी तो विषय की जानकारी आयेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप सभी विद्वान सदस्य हैं और सभी नियमों के ज्ञाता हैं। आप मंत्री भी रह चुके हैं इस सदन में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है और आपके परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय प्रीतम सिंह जी, मुझे बता दीजिए ना, मैंने नहीं पढ़ा है, आप उस नियम की व्याख्या कर दीजिए। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) रणजीत सिंह रावत जी, माननीय कुंजवाल जी पूर्व मंत्री, माननीय किशोर उपाध्याय जी पूर्व मंत्री, आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं और आप लोगों का इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है (व्यवधान) और आपने अपने–अपने क्षेत्रों की सदन के माध्यम से बहुत सेवा की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया सदन के समय का ध्यान रखें और अन्य माननीय सदस्यों के समय का भी ध्यान रखें। इस सदन में सबका समान अधिकार है चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, चाहे किसी दल से हों। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय प्रीतम सिंह जी, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके और आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है (हंसी) और बहुत बड़ी सेवा रही है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई ऐसा उदाहरण स्थापित न करें जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कष्टदायी हो। (हंसी) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय रणजीत सिंह रावत जी, माननीय कुंजवाल जी, जो नये सदस्य हैं जैसे श्री करन मेहरा जी हैं, श्री मनोज तिवारी जी हैं, श्री राजेश जुवांठा जी हैं इनको बहुत कुछ करना है, कृपया इनको मौका दें।

कृपया ऐसा मत करिये। कृपया स्थान ग्रहण करें। जो नियम के अन्तर्गत सूचना है उसको मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उप नेता कांग्रेस और कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य कृपया हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि आज 3 बजे बजट भी प्रस्तुत होना है एवं अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष है। सारे सदन के समक्ष है अगर अभी तक हम देंखे कि जब से सदन शुरू हुआ है कोई विशेष प्रगति हम नहीं कर पाये हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, केदार सिंह रावत बाहर धरने पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय शहजाद जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया आप लोग श्री केदार सिंह जी से बात करके उनसे अनुरोध कर लें। सदन चल रहा है उनका स्थान यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है। कृपया अनुरोध कर लें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

ठीक है हम अनुरोध कर लेंगे।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जो माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जायेंगे और सदन व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उनकी बात का संज्ञान न लिया जाय। मैं सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी समाचार के माध्यम से कहते रहे कि सरकार किसी भी जाँच के लिए तैयार है तो बजट भाषण से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा कर दें कि हम सभी मामलों में सी0बी0आई0 की जाँच करायेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया अपने माननीय सदस्यों को स्थान ग्रहण करने को कहें। बजट के बाद माननीय सदस्यों की बात को सुन रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, घोटाला हुआ है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने मुद्दे उठाये हैं, उन मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट के बाद चर्चा होनी है, विचार होना है, ग्राह्यता पर सुना जाना है, तो माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि कम से कम ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें, ऐसे उदाहरण उत्पन्न करने से आगे दिक्कत हो जायेगी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

*श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कृपया बजट भाषण उपलब्ध करा दें।

श्री अध्यक्ष–

बजट भाषण की प्रतियाँ उपलब्ध करायें।

(बजट भाषण की प्रतियाँ वितरित की गईं)

वित्तीय वर्ष, 2010–11 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'')–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2010–11 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इस गरिमामय सदन के समक्ष आय–व्ययक प्रस्तुत करने का मुझे पुनः एक बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन :

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि वैश्विक आर्थिक मन्दी तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद उत्तराखण्ड देश का दूसरा राज्य है, जिसने अपने कार्मिकों के हितों को संरक्षित करने की दृष्टि से छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किया। यद्यपि इससे इस प्रदेश पर लगभग ₹ 2500 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार हुआ, फिर भी सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबन्धन से इस चुनौती का सामना किया। मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि राज्य के कुशल वित्तीय प्रबन्धन की सराहना करते हुए 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा इस हेतु पुरस्कार के रूप में राज्य के इतिहास में पहली बार प्रोत्साहन राशि ₹ 1000 करोड़ अनुमन्य किया गया है, जो कि देश के किसी भी राज्य को मिलने वाली सर्वाधिक राशि है। भारत सरकार ने भी केन्द्रीय वित्त आयोग की इस संस्तुति को स्वीकार किया है।

वार्षिक योजना :

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अभी वार्षिक योजना का आकार निर्धारित नहीं हुआ है तथापि वर्ष 2010–11 के आयोजनागत पक्ष में ₹ 5117.38 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है जो वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक अनुमान से लगभग ₹ 600 करोड़ अधिक है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि वर्ष 2010–11 का बजट सरकार के विजन, 2020 के दृष्टिगत तैयार किया गया है ताकि विजन, 2020 के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर,

इस बजट में हमने जहाँ वर्ष 2009–10 के मूल बजट के सापेक्ष वृद्धि की है वहीं जनहित की कई नई एवं विशिष्ट योजनाओं को सम्मिलित किया है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगाः–

✣ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ ही दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र जहां बिजली व रसोई गैस के अभाव में अधिकांश लोग मिट्टी तेल का उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को राहत देने हेतु सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि मिट्टी तेल पर वर्तमान 12.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

✣ वर्ष 2009–10 में जहाँ हमने आम व्यक्ति के दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री– आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन को पूर्णतः वैट से मुक्त किया था, उसके साथ–साथ वर्ष 2010–11 में खादी ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित दियासलाई, आतिशबाजी, मोमबत्ती, कपूर, गोंद व राल, नारियल की जटा से भिन्न रेशा, हाथ से निर्मित कागज, कागज बोर्ड, फाईल कवर, फाइलबोर्ड, ड्राइंगपेपर, बधाई–पत्र, आमंत्रण–पत्र को पूर्णतया वैट मुक्त किया जायेगा।

✣ प्रदेश के किसानों के हित में थ्रैसर पर 4 प्रतिशत वैट को पूरी तरह समाप्त किया जायेगा।

✣ हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने, पारम्परिक हस्तशिल्प के संरक्षण व प्रोत्साहन तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हाथ से बुने ऊनी दन एवं गलीचों (कारपेट) को पूर्णतया वैट मुक्त किया जायेगा।

✣ छात्र–छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए लेखन स्याही (राइटिंग इंक) पर 4 प्रतिशत वैट को पूर्णतः समाप्त किया जायेगा।

✣ टैक्सटाइल वेस्ट एवं कॉटन वेस्ट, जो सामान्यतया आम जन द्वारा उपयोग किये जाने वाले गद्दे, तकिये आदि में प्रयोग किये जाते हैं, पर 12.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

✣ वर्ष 2009–10 में जहाँ हमने अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय पर शहरी क्षेत्रों में देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को पूर्णतया समाप्त किया था, वहीं वर्ष 2010–11 में अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय पर वर्तमान में देय 7 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत किया जायेगा।

✣ किसानों के हित में कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क में छूट की अवधि न केवल दिनांक 31–3–2011 तक बढ़ाई जायेगी बल्कि छूट की वर्तमान में अनुमन्य ऋण सीमा ₹ 3 लाख को बढ़ाकर ₹ 5 लाख किया जायेगा।

✣केबिल टी0वी0 पर मनोरंजन कर को कम कर घरेलू कनेक्शन के लिए ₹ 20 प्रतिमाह तथा व्यावसायिक कनेक्शन के लिए ₹ 40 प्रतिमाह किया जायेगा।

✣पुराने सिनेमा घरों की कठिनाईयों तथा उनके बन्द होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उनके पुनरुत्थान के लिए पुराने सिनेमा घरों के स्थान पर नये सिनेमा घरों के निर्माण की अनुमति दी जायेगी।

✣कुमायूँ के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में प्रदेश स्तरीय चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी ताकि सक्षम एवं प्रशिक्षित वाहन चालक तैयार हो सकें।

✣मुजफ्फर नगर–रुड़की रेल लाईन के निर्माण हेतु वर्ष 2009–10 में ₹ 20 करोड़ का भुगतान रेलवे बोर्ड को किया गया है। वर्ष 2010–11 में भी ₹ 20 करोड़ की व्यवस्था है ताकि इस रेल लाईन का निर्माण शीघ्र किया जा सके।

✣जौलीग्रान्ट हवाई अड्डा, जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार एवं देहरादून के समीप है, में नाइट लैंडिंग व्यवस्था न होने के कारण पर्यटकों एवे तीर्थ यात्रियों आदि को असुविधा होती है तथा हवाई सेवाओं की उपलब्धता सीमित है। इस समस्या के समाधान हेतु नाइट लैडिंग की व्यवस्था करवायी जायेगी।

✣विद्युत वितरण कार्यों में सुधार हेतु दस हजार से अधिक आबादी वाले 31 शहरों में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना क्रियान्वित कर विद्युत लाईन से होने वाली विद्युत क्षति को कम करते हुए सामान्य दरों पर विद्युत की उपलब्धता बढ़ाई जायेगी।

✣महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना, जो गत 30–35 वर्षों से लम्बित पड़ी है एवं जिससे विद्युत उत्पादन के साथ हल्द्वानी शहर तथा ऊधमसिंह नगर सहित एक बड़े क्षेत्र की सिंचाई व पेयजल आपूर्ति में वृद्धि होगी, के क्रियान्वयन हेतु हम कृत संकल्प हैं। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि कुछ दिन पूर्व ही भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस महत्वाकांक्षी चिर–प्रतीक्षित परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

✣मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से कम आबादी वाले गांवों के लिए सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जायेगा।

✣लक्सर, डोईवाला आदि स्थानों में रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज बनाये जा रहे हैं, जो शीघ्र पूर्ण हो जायेंगे। इसी क्रम में देहरादून में मोहकमपुर के निकट रेलवे ओवर ब्रिज सहित प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की पहल की जायेगी।

✣निराश्रित एवं मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह की स्थापना की जायेगी।

✧ कूड़ा बीनकर जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी एवं छात्रावास स्थापित किया जायेगा।

✧ सभी वर्गों के आर्थिक रूप से अत्यन्त गरीब आवासहीन परिवारों, जिनकी वार्षिक आय ₹ 32000 से कम हो तथा जो बी0पी0एल0 से आच्छादित नहीं हैं, को "अटल आवास योजना" के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

✧ गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरित वन भूमि से पर्यावरण को होने वाली क्षति के परिप्रेक्ष्य में जमा की गयी धनराशि से राज्य कैम्पा अर्थात प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए "तदर्थ कैम्पा" के अन्तर्गत 10 वर्षों में लगभग ₹ 874 करोड़ की विभिन्न योजनाएँ यथा बद्रीश वन, इको टूरिज्म, नक्षत्र वन व ग्रीन सिटी आदि संचालित की जायेंगी। वर्ष 2010–11 में इस हेतु ₹ 82 करोड़ व्यय किया जायेगा।

✧ जहाँ हम ₹ 12 करोड़ की लागत से बनने वाले देश के उत्कृष्ट गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय की स्थापना कर रहे हैं, वहीं राज्य में दो कैंसर उपचार केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, देहरादून तथा सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट, देहरादून एवं रुड़की में कार्डियक यूनिट और काशीपुर, ऋषिकेश, रुड़की व कोटद्वार में ट्रॉमा सेन्टर, कोटद्वार एवं पिथौरागढ़ में सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 तथा डाइगनोस्टिक केन्द्र को लोक निजी सहभागिता आधार पर संचालित किया जायेगा।

✧ मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, जहाँ प्रति वर्ष 100 बच्चे एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश लेते हैं, का राजकीयकरण किया जायेगा।

✧ जहाँ प्रदेश का पहला नर्सिंग कॉलेज देहरादून में 2010–11 में प्रारम्भ हो जायेगा, वहीं पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में भी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे। भविष्य में अल्मोड़ा, टिहरी एवं चमोली में भी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।

✧ प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के क्रम में राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

✧ शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु विद्यालयों में अधिगम (लर्निंग) गारन्टी कार्यक्रम, अधिगम स्तर मूल्यांकन एवं दक्षता आधारित अधिगम (कम्पीटेन्सी बेस लर्निंग) का अभिनव प्रयोग प्रारम्भ

किया गया है। इसके अन्तर्गत रटन्त प्रणाली के स्थान पर दक्षता आधारित एवं बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षण एवं मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी।

✧बालिका शिक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन हाईस्कूल स्तर तक किया जा रहा है। साथ ही आवासीय विद्यालयों के रूप में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों में 50 प्रतिशत स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।

✧तहसील स्तर पर नाना जी देशमुख आदर्श आवासीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी जिनमें यथा आवश्यकता निजी सहयोग भी लिया जायेगा ताकि दूरदराज के निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के उन्नयन हेतु उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सके।

✧प्रदेश के पहले विशिष्ट एवं उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित दून विश्वविद्यालय में वर्ष 2009–10 में दो विषय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2010–11 में तीन और विष्ज्ञय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया जायेगा।

✧उच्च स्तर की प्रबन्धन शिक्षा के लिए आई0आई0एम0 तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए एन0आई0टी0 की स्थापना शीघ्रता से की जायेगी।

✧औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि टाटा, हीरो–होण्डा व अशोक लीलैण्ड आदि नामी गिरामी कम्पनियों द्वारा उत्तराखण्ड में उद्योग स्थापित करने से प्रदेश एक महत्वपूर्ण "ऑटोमोबाइल हब" के रूप में स्थापित हो रहा है जिससे स्थायी रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

✧स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। धरती के स्वर्ग उत्तराखण्ड को पर्यटक आकर्षण केन्द्र बनाने हेतु सरकार कृतसंकल्प है। इसके लिए अन्य योजनाओं के साथ–साथ पर्यटन मेगा सर्किट स्वीकृत किये जायेंगे।

✧हमारा सौभाग्य है कि देश का पहला सबसे बड़ा फूड एवं हर्बल पार्क हमारे प्रदेश में स्थापित हुआ है। इसी क्रम में पहाड़ के पानी व जवानी के सदुपयोग हेतु जड़ी–बूटी का उत्पादन, दोहन तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

✧कृषि सेवाओं को न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी।

✧ जहाँ हमने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी है, वहीं हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किशाऊ बाँध एवं लखवाड बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

✧ नदियों के संरक्षण, संवर्द्धन तथा उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान चलाया जायेगा।

✧ द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं की पेंशन ₹ 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 2000 प्रतिमाह की गयी है।

✧ पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की सुगमता हेतु सैनिक कल्याण निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में टौल फ्री फोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

✧ उत्तराखण्ड देश का प्रथम राज्य है, जिसने संस्कृत को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा देकर गौरवान्वित किया है।

✧ पं0 दीन दयाल उपाध्याय 108 आपात कालीन सेवा ने अल्प समय में ही अपार लोकप्रियता, उपादेयता व कीर्तिमान स्थापित किये हैं। सड़क दुर्घटना, बीमारी की गम्भीर अवस्था तथा प्रसव सम्बन्धी प्रकरणों आदि में इस सेवा ने अब तक लगभग 1.36 लाख पीड़ितों को सहायता पहुँचाई है। इस सेवा ने 51 हजार प्रसूति मामलों में जच्चा–बच्चा की जान बचा कर एम्बुलेन्स में 1260 बच्चों को जन्म देकर कीर्तिमान बनाया है। इस सेवा को और अधिक उपयोगी बनाने तथा इसकी पहुँच बढ़ाने के लिए मोटर साइकिलों का भी प्रयोग किया जायेगा।

✧ प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों, कवियों की कृतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।

✧ जेण्डर बजट में वर्ष 2009–10 के सापेक्ष लगभग 17.65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2010–11 में ₹ 1400 करोड़ का प्राविधान है।

मान्यवर,

अब विभागवार बजट प्रस्तावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है ;

राजकोषीय सेवाएँ :

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा मनोरंजन कर प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में कोई नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

वाणिज्य कर :

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिट्टी के तेल पर वर्तमान 12.5 प्रतिशत वैट घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आमजन की समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से तथा खादी ग्रामोद्योग इकाईयों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् द्वारा प्रमाणित एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर द्वारा सत्यापित ऐसी इकाईयों, जिनकी वार्षिक सकल बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है, द्वारा उत्पादित वस्तुओं यथा दियासलाई, आतिशबाजी, मोमबत्ती, कपूर, गोंद व राल, नारियल की जटा से भिन्न रेशा, हाथ से निर्मित कागज, कागज बोर्ड, फाईल कवर, फाईलबोर्ड, ड्राइंगपेपर, बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र को पूर्णतया वैट मुक्त किया जायेगा।

प्रदेश के किसानों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से थ्रैसर पर 4 प्रतिश वैट को पूर्णतया समाप्त किया जायेगा।

हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं के हित तथा कारीगरों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हाथ से बुने ऊनी दन एवं गलीचों (कारपेट) को वैट मुक्त किया जायेगा।

छात्र–छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए लेखन स्याही पर वर्तमान 4 प्रतिशत वैट को पूर्णतया समाप्त किया जायेगा।

टैक्सटाइल वेस्ट एवं कॉटन वेस्ट, जो सामान्यतः गद्दे, तकिया आदि में भी प्रयोग किया जाता है, पर वर्तमान 12.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

वाणिज्य कर विभाग राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। विभाग के अन्तर्गत अनावासीय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 15.62 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। करों में उक्तानुसार विभिन्न छूट दिये जाने के बावजूद वर्ष 2010–11 में ₹ 2586 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय पर स्टाम्प शुल्क की दरों को कम किया जायेगा। वर्ष 2009–10 में जहाँ शहरी क्षेत्रों में देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को पूर्णतया समाप्त किया गया था, वहीं वर्ष 2010–11 में अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय हेतु वर्तमान देय 7 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क को घटा कर 6 प्रतिशत किया जायेगा।

किसानों के हित में न केवल कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क पर छूट की अवधि 31–3–2011 तक बढ़ाई जाएगी बल्कि छूट की वर्तमान अनुमन्य ऋण सीमा ₹ 3 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख की जाएगी।

स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन राजस्व प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2010–11 में उक्त छूटों के बावजूद इस मद में ₹ 425.65 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है।

आबकारी :

आबकारी भी राज्य के राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों में है। प्रवर्तन कार्य पर विशेष ध्यान देते हुए मदिरा की तस्करी पर प्रभावी रोक–थाम की व्यवस्था की जायेगी। आबकारी के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में ₹ 686.93 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है जबकि व्यय पक्ष में ₹ 9.75 करोड़ का प्राविधान है।

मनोरंजन कर :

प्रदेश की जनता को सस्ते व सुलभ मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केबिल टी0वी0 पर मनोरंजन कर की दर को कम कर घरेलू कनेक्शन पर ₹ 20 प्रतिमाह तथा व्यावसायिक कनेक्शन पर ₹ 40 प्रतिमाह किया जायेगा।

परिवहन :

राज्य तथा जनता के चहुँमुखी विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से भी परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में अधिकांशतः सड़क मार्ग ही परिवहन का प्रमुख साधन है। विभिन्न अवस्थापना सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार प्रभावी विनियमन, प्रवर्तन एवं विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को समुचित परिवहन सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

परिवहन व्यवसाय एवं व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से त्वरित एवं त्रुटिरहित विनियमन सेवाओं यथा पंजीयन, परमिट, फिटनेस तथा कर सम्बन्धी कार्यों आदि हेतु कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

उत्तराखण्ड के लिए चिर–प्रतीक्षित मुजफ्फरनगर–रुड़की रेल लाईन का शीघ्र निर्माण कराया जाएगा। इस हेतु वर्ष 2009–10 में ₹ 20 करोड़ की धनराशि रेलवे को उपलब्ध कराई जा चुकी है। पुनः वर्ष 2010–11 में ₹ 20 करोड़ का प्राविधान है।

हल्द्वानी में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल की स्थापना हेतु हम कृतसंकल्प हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत चयनित नगरीय क्षेत्रों हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल में 145 बसों का शीघ्र संचालन किया जायेगा।

राज्य में प्रमुख स्थानों पर लोक निजी सहभागिता के माध्यम से बस अड्डे स्थापित किए जायेंगे।

वर्ष 2010–11 में परिवहन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए ₹ 38.37 करोड़ का प्राविधान है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा विमानन सेवाओं के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सरकार प्रयासरत है। देहरादून, हरिद्वार एवं ऋषिकेश के मध्य स्थित जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जा चुका है जहाँ अब नाइट लैण्डिग व्यवस्था करवाई जायेगी ताकि विमान सेवाएँ नियमित एवं सुचारू रूप से चल सकें जिससे पर्यटकों तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध होगी। पन्तनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का भी कार्य गतिमान है, जबकि नैनीसैनी हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ का विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में हेलीपैड निर्माण की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। देहरादून में तीन हैलीकाप्टर के साथ पार्किंग सुविधा युक्त हैलीपैड एवं हैंगर का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। निजी हैलीकाप्टर सेवा से चार धाम व अन्य पर्यटक स्थलों को जोड़ा जायेगा।

नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 15.62 करोड़ का प्राविधान है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

राज्य तथा जनता के चहुँमुखी विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में विद्युत मांग में लगातार वृद्धि विकास की दृष्टि से शुभ संकेत है। मांग के अनुसार ऊर्जा उत्पादन व उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विद्युत पारेषण तथा सामान्य दरों पर विद्युत वितरण पर सरकार ध्यान दे रही है। वर्तमान में लगभग 3180 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएँ स्थापित हैं तथा लगभग 15 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं में विकास एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किशाऊ बांध एवं लखवाड़ बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना पर भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। सरकार ने वर्ष 2008 में बनी नीति के अनुसार प्रथम चरण में 25 मेगावाट तक की लगभग 950 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएँ आवंटित की हैं। अगले चरणों सहित इस नीति के अन्तर्गत लगभग 2000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का आवंटन सम्भावित है। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं के जीर्णोद्धार, उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य करेगी। राज्य में विद्युत गृहों से उत्पादित विद्युत की निकासी तथा मांग स्थल तक पारेषण हेतु विभिन्न उच्च विभव क्षमता के उपस्थान एवं लाईनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें सतपुली तथा सितारगंज में 132 के0वी0 उपस्थान, महुआखेड़ागंज में 220 के0वी0 उपस्थान, 132 के0वी0 की श्रीनगर–सतपुली व श्रीनगर–सिमली लाईन, 220 के0वी0 की घुत्तू–घनसाली, काशीपुर–बरहनी–पन्तनगर एवं रोशनाबाद–रुड़की लाईन तथा 400 के0वी0 लोहारीनाग

पाला–कोटेश्वर लाईन आदि प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009–10 में 220 के0वी0 की मनेरी भाली द्वितीय– ऋषिकेश व चम्बा–घनशाली लाईन, 132 के0वी0 की काशीपुर–बाजपुर व सतपुली–कोटद्वार लाईन तथा 132/33 के0वी0 सिमली उपस्थान का निर्माण पूर्ण किया है।

विद्युत वितरण में सुधार के माध्यम से वितरण तंत्र से हो रही वर्तमान विद्युत क्षति को नियंत्रित किया जायेगा, जिसके अधीन 10 हजार आबादी से अधिक जनसंख्या वाले 31 शहरों में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना क्रियान्वित की जायेगी। देहरादून शहर में विद्युत देयकों के भुगतान को सुविधापूर्ण व सरल बनाने के लिए 7 एनी टाईम पेमेन्ट (ए0टी0पी0) मशीनें स्थापित की गयी हैं जबकि प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर बिजली सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

ग्रामीण विद्युत वितरण कार्य के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण लगभग पूर्णता की ओर है। वर्ष 2010–11 में 968 तोकों का विद्युतीकरण किया जायेगा एवं 24800 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत संयोजन दिया जायेगा।

विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 454.99 करोड़ का निवेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय स्रोतों से भी वित्त पोषण किया जा रहा है।

राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण सहित अन्य उपयोगों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के समुचित उपयोग हेतु सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2010–11 में सौर ऊर्जा से 77 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। 1465 किलोवाट क्षमता की 16 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। घराटों के सुधारीकरण/सुधारीकृत घराटों की स्थापना योजना भी चलाई जा रही है। जनपद टिहरी में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन योजना पर भी विचार किया जाना प्रस्तावित है। सरकार ऊर्जा संरक्षण कार्यों के लिए भी प्रयासरत है।

वर्ष 2010–11 में वैकल्पिक ऊर्जा कार्यों हेतु ₹ 10.65 करोड़ का बजट है।

<u>सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</u> :

कृषि क्षेत्र के विकास तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था महत्वपूर्ण है। जहाँ वर्तमान में 2409 नहरों, 918 नलकूपों तथा 124 लघुडाल नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं नई सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर बल दिया जायेगा। कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड चैनल का निर्माण किया जा रहा है।

गत 30–35 वर्षों से लम्बित महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा ताकि विद्युत उत्पादन तथा हल्द्वानी व ऊधमसिंह नगर सहित एक बड़े भू–भाग में पेयजल व सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2010–11 में ₹ 473.86 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए निजी एवं सामुदायित लघु सिंचाई योजनाओं का भी अत्यन्त महत्व है। इस हेतु छोटी गूलों, हौज, हाइड्रम, आर्टीजन कूपों तथा बोरिंग पम्प सैट आदि के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था विकसित की जा रही है। स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई व्यवस्था की योजनाएं भी चलाई जायेंगी। वर्ष 2010–11 में लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ₹ 276.99 करोड़ का प्राविधान है।

<u>पेयजल</u> :

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जहाँ जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है वहीं जल स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन तथा उसे प्रदूषण मुक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 तक 2948 असेवित एवं 9404 आंशिक सेवित बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में पेयजल सुविधाओं के सुधार तथा देहरादून व नैनीताल में जलोत्सारण व्यवस्था सहित मसूरी में जलोत्सारण व्यवस्था क्रियान्वित की जायेगी। ए0डी0बी0 वित्त पोषण से 31 नगरों में पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। प्रथम चरण में देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल के कार्य प्रारम्भ किए जा रहे हैं।

पतितपावनी गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा नये कार्य प्रस्तावित किए जायेंगे। गंगा तट पर स्थित मुख्य शहर हरिद्वार में वर्ष 2050 की जनसंख्या के आधार पर ट्रंक सीवर लाईन का निर्माण किया जा चुका है।

वर्ष 2010–11 में शहरी पेयजल एवं जलोत्सारण कार्यों हेतु ₹ 85.90 करोड़ तथा ग्रामीण पेयजल व जलोत्सारण कार्यों हेतु ₹ 264.41 करोड़ सहित पेयजल एवं जलोत्सारण कार्यों हेतु ₹ 350.31 करोड़ का प्राविधान है।

<u>सड़क एवं सेतु</u> :

प्रदेश के चहुंमुखी विकास तथा जनता के सुगम आवागमन के लिए सड़कों व सेतुओं का अनुरक्षण एवं निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन

योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना क्रियान्वित की जायेगी जिसके अन्तर्गत 250 से कम आबादी वाले गांवों के लिए सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा उन कार्यों को लिया जायेगा जो मिसिंग लिंक के तौर पर आवश्यक हैं और उन पुलों का निर्माण किया जायेगा जिनसे दो सड़कों को जोड़ने से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पहुँचने में सहायता हो। प्रदेश के 670 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों को सड़क सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा। नियोजित तरीके से मोटर मार्गों का विकास करने हेतु मास्टर प्लान लागू किया जायेगा।

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से सड़कों के उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में जनवरी 2010 तक लगभग 442 किलोमीटर की सड़कें पूरी कर लगभग ₹ 242 करोड़ व्यय किया गया है एवं अग्रेत्तर लगभग 1038 किलोमीटर सड़कों का कार्य किया जायेगा। तृतीय चरण में लगभग 1961 किलोमीटर की 156 सड़कें ली जानी विचाराधीन हैं।

लोक निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 1001.80 करोड़ का प्राविधान है।

औद्योगिक विकास :

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक पैकेज की समयावधि बढ़ाने के लिए यद्यपि हर सम्भव प्रयास किया जायेगा तथापि अन्य प्रयासों यथा मैत्रीपूर्ण अनुकूल वातावरण आदि व्यवस्थाओं के माध्यम से औद्योगिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्र में भी पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग ₹ 100 करोड़ का निवेश हुआ है।

वर्ष 2010–11 में उद्योग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए ₹ 59.81 करोड़ का प्राविधान है।

शहरी विकास एवं आवास :

नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, रोजगार सृजन की योजनाएँ, स्वतः रोजगार हेतु प्रशिक्षण, मलिन बस्तियों के सुधार एवं गरीबों के लिए आवास निर्माण, कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन आदि योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी। ए0डी0बी0 वित्त पोषण से 31 नगरों में जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे।

शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास के अन्तर्गत स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सहित जन शौचालय, स्नान गृह तथा अन्य स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थापना व्यवस्था, जल निकासी तथा जल दोहन से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री समेकित

शहरी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। नगरों में उच्च कोटि की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कार दिया जायेगा। शहरों में पार्किंग तथा सामुदायिक उपयोग के राजस्व अर्जन वाली अवस्थापना सुविधाओं का लोक निजी सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वयन के लिए पं0 दीन दयाल उपाध्याय वायबिलिटी गैप योजना चलाई जायेगी। शहरों में लोक निजी सहभागिता से पथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए पं0 दीन दयाल उपाध्याय पथ प्रकाश योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

वर्ष 2010–11 में विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं सहित एशियन डेवलपमैन्ट बैंक व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं व कार्यों के लिए ₹ 473.07 करोड़ का प्राविधान है।

कुम्भ मेला 2010 :

यह हमारा सौभाग्य है कि विश्व के सबसे बड़े मेले के आयोजन का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। कुम्भ मेला की व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार के सहयोग से ₹ 565 करोड़ के विभिन्न स्थायी एवं अस्थायी कार्य स्वीकृत किए गये हैं। लगभग 5.35 किलोमीटर अतिरिक्त घाटों, वर्ष 2050 की जनसंख्या के आधार पर हरिद्वार में ट्रंक सीवर लाईन, लक्सर में रेलवे ओवरब्रिज सहित लगभग ₹ 407 करोड़ के स्थायी निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। काँवड़ यात्रा के दौरान सड़क मार्गों के बन्द होने से यात्रियों एवं औद्योगिक उत्पाद के परिवहन में समस्या को दूर करने के लिए ₹ 8 करोड़ की पृथक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय से सहमति के क्रम में भूस्खलन के कारण लगभग 9 वर्ष से बन्द पड़े हरिद्वार हिल बाईपास सड़क का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। कुम्भ 1998 एवं अर्द्ध कुम्भ 2004 की तुलना में घाटों, स्थायी सेतुओं, सीवर लाईन तथा अस्थायी पार्किंग के निर्माण में कई गुना वृद्धि की गयी है। साथ ही अस्थायी कैम्पिंग के लिए भी अपेक्षाकृत डेढ़ गुना भूमि की व्यवस्था की गयी है।

समाज कल्याण :

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं निःशक्तजनों को उनकी क्षमता के अनुसार योग्य बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की ओर सतत् प्रयत्नशील है।

कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग भरण–पोषण अनुदान एवं विधवा भरण–पोषण अनुदान के अन्तर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को आच्छादित करने का लक्ष्य है।

विकलांगजनों तथा कुष्ठ रोग से विकलांगता प्राप्त व्यक्तियों की विशेष स्थिति को देखते हुए उन्हें पेंशन दी जा रही है। निराश्रित मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों

के लिए आवासीय गृह की स्थापना प्रस्तावित है। कूड़ा बीनकर जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों विशेषकर लड़कियों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए छात्रावास स्थापित किया जायेगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी आवासहीन गरीब परिवारों, जो बी0पी0एल0 में चिन्हांकित नहीं हो पाये हैं, को "अटल आवास योजना" के अन्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिस हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 6 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 2010 से सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। विकलांग जनों के लिए देहरादून में छात्रावास निर्माण सहित बालिकाओं व महिलाओं के लिए 25 सीटों का राज्य स्तरीय उत्तर रक्षा गृह का निर्माण किया जायेगा।

जनपद बागेश्वर के राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज परिसर में बालिका छात्रावास भवन का निर्माण किया जायेगा। हल्द्वानी में समाज कल्याण निदेशालय का भवन निर्माण भी किया जायेगा।

समाज कल्याण कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 1237.85 करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण :

भारतीय सेना में उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में लगभग 1.46 लाख पूर्व सैनिक व उनकी विधवाएँ पंजीकृत हैं जबकि लगभग 60 हजार नौजवान सेना में कार्यरत हैं। वीरता पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा देश में सबसे अधिक अनुदान दिया जा रहा है। सेना व पुलिस में भर्ती हेतु सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं की पेंशन ₹ 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 2000 प्रतिमाह की गयी है। निदेशालय सैनिक कल्याण व जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में टौल फ्री फोन सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, रुड़की, चौखुटिया में सैनिक विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं जबकि थलीसैंण, विकास नगर, ऊखीमठ, बड़कोट तथा मुनस्यारी में सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने प्रस्तावित हैं।

सैनिक कल्याण हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 18.65 करोड़ का प्राविधान है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

महिलाओं की समाज में सशक्त भूमिका स्थापित करने एवं स्वर्णिम भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश के 95 विकास खण्डों तथा 4 शहरी मलिन बस्तियों में कुल 99 बाल विकास परियोजनायें संचालित

हैं। इन बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 9664 आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 2676 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 22004 महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। साथ ही 06 नई परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। आई0सी0डी0एस0 के द्वितीय चरण के विस्तारीकरण के अन्तर्गत राज्य में अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत राज्य की किशोरियों को उद्देश्यपरक एवं गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मोनाल नाम से अभिनव प्रयोग किया गया है, जिसके अन्तर्गत किशोरियों को जीवन कौशल, सतत् शिक्षा, नेतृत्व विकास आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा। चार धामों में स्थानीय रूप से तैयार किया गया प्रसाद (आदि भोग) का उत्पादन एवं विपणन सम्बन्धित जनपदों के विकास खण्डों के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

महिलाओं का कार्यबोझ कम करते हुए उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला समेकित विकास योजना संचालित है।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जेण्डर बजट में लगभग ₹ 1400 करोड़ की व्यवस्था है जो वर्ष 2009–10 की तुलना में लगभग ₹ 200 करोड़ अधिक है।

देवभूमि मुस्कान परियोजना के अन्तर्गत खनन, निर्माण कार्य एवं ईंट भट्टा में कार्यरत मजदूरों के बच्चों के लिए 41 केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के ₹ 296.49 करोड़ का प्राविधान है।

जलागम :

प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पति के संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन योजनाएँ सामुदायिक सहयोग से चलाई जा रही हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित एवं कुशल प्रबन्धन के फलस्वरूप ग्रामीणों की आय एवं उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010–11 में जलागम सम्बन्धी कार्यों के लिए ₹ 107.45 करोड़ का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण :

प्रदेश के वनों का राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश तथा हिमालयी क्षेत्र के लिए अत्यन्त महत्व है। राज्य में वनों के विकास व रख–रखाव तथा पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए सरकार प्रयासरत है। वन विभाग के अतिरिक्त इको टास्क फोर्स द्वारा वर्ष 2009–10 में 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण किया गया है। वानिकी में जनसहभागिता के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड अग्रणी है। इस हेतु प्रदेश की लगभग बारह हजार वन पंचायतों का विशेष योगदान है। प्रदेश सरकार ईको टूरिज्म के विकास का भी प्रयास कर रही है। वन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में ₹ 309.47 करोड़ का प्राविधान है।

"तदर्थ कैम्पा" के माध्यम से आगामी 10 वर्षों में ₹ 873.61 करोड़ की विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी। इस योजना के अन्तर्गत वन सुरक्षा, अवस्थापना एवं मानव संसाधन विकास, वन्य जीव प्रबन्धन, मृदा एवं जल संरक्षण, वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण, ईको टूरिज्म, आजीविका सम्बन्धी कार्य, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ–वृक्षारोपण एवं संरक्षित क्षेत्रों का विकास तथा कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट कार्य किए जायेंगे। साथ ही प्रत्येक जनपद में जैव विविधता केन्द्र तथा हर्बल गार्डन की स्थापना, जनपद मुख्यालयों में हरित पट्टी स्थापना, स्पर्श गंगा अभियान तथा बद्रीनाथ धाम में बद्रीश एकता वन नक्षत्र वन की स्थापना आदि कार्य किए जायेंगे।

कृषि :

बढ़ती हुई जनसंख्या तथा सीमित कृषि भूमि के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एक चुनौती है। इस हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बीजोत्पादन कार्य का विस्तार तथा जैविक खेती पर भी बल दिया जा रहा है। जैविक खेती हेतु विकास खण्डों में क्लस्टर आधार पर गांवों का चयन किया जायेगा। कृषि निवेश की सुगम पहुँच के लिए एकल खिड़की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है तथा तद्नुसार इस हेतु विभाग के ढाँचे व कार्यप्रणाली का पुनर्गठन किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्र के किसानों तक सभी जानकारियाँ एवं कृषि निवेश सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर अटल आदर्श ग्रामों में कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज प्रतिस्थापन पर ध्यान दिया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर आधुनिक सुविधा युक्त किसान सूचना एवं सलाह केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके।

कृषि क्षेत्र हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 278.45 करोड़ का प्राविधान है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग :

सरकार द्वारा वर्तमान पेराई सत्र हेतु गन्ना कृषकों को देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य घोषित किया गया है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 10.33 करोड़ का प्राविधान है।

उद्यान :

राज्य में फल एवं सब्जियों के उत्पादन के अन्तर्गत लगभग 283 हजार हेक्टेयर भूमि आच्छादित है। सरकार उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जी पौध व बीज उत्पादन, आलू बीज उत्पादन, फसल सुरक्षा, पुष्प उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर फसल प्रबन्धन, मौनपालन, बेमौसमी सब्जी उत्पादन तथा चाय विकास आदि के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है। कास्तकारों के उद्यानों की घेरबाड़ हेतु भी सरकार सहायता दे रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के माध्यम से कृषकों को उचित मूल्य दिया जा रहा है। सेब व अन्य फसलों की

बीमा सुविधा भी दी जा रही है। जड़ी–बूटी तथा सगंध पौध के रोपण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। रेशम कीट पालन, कोया उत्पादन सहित रेशम उत्पादन, रेशम वस्त्र विकास आदि कार्य भी संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जड़ी–बूटी विकास योजना के अन्तर्गत जड़ी–बूटी क्षेत्र के समग्र विकास व प्रभावी विपण हेतु विकास खण्ड स्तर पर संकुल आधार पर जड़ी–बूटी कृषिकरण योजना चलाई जायेगी। वर्ष 2010–11 में उद्यान के अन्तर्गत ₹ 87.34 करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन भी लोगों की आजीविका व रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पशुपालन कार्यों के प्रसार एवं विस्तार हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कृषक महोत्सव आयोजन के माध्यम से पशुओं की समुचित चिकित्सा, टीकाकरण, कुक्कुट पक्षी वितरण, चारा बीज वितरण आदि कार्यों सहित पशुपालन सम्बन्धी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। फीडर चारा बैंकों की स्थापना के साथ–साथ उपचारा बैंकों की स्थापना की जायेगी।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण सहित शीत जल मत्स्यिकी तथा जल जीव पालन, जलाशयों का विकास, नई हैचरियों की स्थापना, मत्स्य विपणन हेतु अवस्थापना विकास, ट्राउट मत्स्य विकास आदि योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 7.67 करोड़ का प्राविधान है।

ग्रामीण क्षेत्र में आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने तथा स्वरोजगार सुलभ कराने हेतु दुग्ध उत्पादन विकास कार्य किये जा रहे हैं। डेयरी विकास से सम्बन्धित कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 14.21 करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिता :

राज्य में 10 जिला सहकारी बैंक, 757 पैक्स एवं 3 शीर्ष सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। जिला सहकारी बैंकों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों का वितरण किया जा रहा हे। 242 अटल आदर्श ग्रामों में मिनी बैंक स्थापित किये जा चुके हैं तथा शेष 428 ग्रामों में मिनी बैंक तथा विस्तार पटल स्थापित किये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए सहकारिता विभाग के अन्तर्गत ₹ 40.91 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष :

राज्य सरकार जनता को हर स्तर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपात कालीन सेवा की लोक प्रियता तथा उपादेयता सर्वविदित है। जहाँ ये सेवा जनता में अति

लोक प्रिय हुई है, वहीं इस सेवा ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब तक लगभग 36.54 लाख से अधिक सूचनाएँ (कॉल्स) जिसमें लगभग 2.12 लाख कॉल्स आपात कालीन हैं, प्राप्त हुई हैं। इस सेवा द्वारा अब तक लगभग 1.36 लाख पीड़ितों, जिसमें सड़क दुर्घटना के 19324 एवं प्रसूति सम्बन्धी 51 हजार मामले हैं, को सहायता पहुँचाई है तथा एम्बुलेन्स में लगभग 1260 बच्चों को जन्म देकर जच्चा–बच्चा की जान की सुरक्षा कर कीर्तिमान बनाया है।

चिकित्सा उपचार की पहुँच बढ़ाने के लिए जनपदों में सचल चिकित्सा वाहन भी चलाये जा रहे हैं। कुम्भ मेला 2010 में चिकित्सा उपचार, रोगों के रोकथाम तथा स्वच्छता व सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। दून चिकित्सालय में एम0आर0आई0 की सुविधा को भी लोक निजी सहभागिता पर सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है जिसके अनुभव के क्रम में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, देहरादून तथा सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट, देहरादून एवं रुड़की में कार्डियक यूनिट और काशीपुर, ऋषिकेश, रुड़की व कोटद्वार में ट्रामा सेन्टर, कोटद्वार एवं पिथौरागढ़ में सी0टी स्कैन, एम0आर0आई0 तथा डाइगनोस्टिक केन्द्र को लोक निजी सहभागिता आधार पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है। पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी।

चिकित्सकों की सेवाओं को प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने के लिए राज्य सरकार ने जहाँ टिक्कू समिति की सिफारिशें लागू की हैं, वहीं चिकित्सकों को मूल वेतन का 25 प्रतिशत नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता भी अनुमन्य किया गया है। देहरादून में अत्याधुनिक शोध एवं तकनीकी युक्त गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्रों जहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वहाँ गाँव के एक व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित कर फर्स्ट एड किट दिया जायेगा।

जहाँ राज्य में आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, वहीं आयुष सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विधान सभा परिसर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित किया जायेगा।

वर्ष 2010–11 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष के अन्तर्गत ₹ 668.78 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा शिक्षा :

उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने मात्र ₹ 15000 वार्षिक शुल्क में एम0बी0बी0एस0 की शिक्षा दिये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मेडिकल कॉलेज

हल्द्वानी का राजकीयकरण किया जायेगा। दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी प्रस्तावित है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लाई जायेगी। श्रीनगर एवं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों के अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण करने तथा प्रस्तावित दून मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु ₹ 68.08 करोड़ प्रस्तावित हैं। जहाँ देहरादून, पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, वहीं अल्मोड़ा टिहरी एवं चमोली में भी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जायेंगे। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 5 वर्षों हेतु 80 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें उपलब्ध हुई हैं।

वर्ष 2010–11 में चिकित्सा शिक्षा हेतु कुल ₹ 152.83 करोड़ का प्राविधान है।

विद्यालयी शिक्षा :

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूर्णता की ओर है। इसी क्रम में राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का संचालन किया जायेगा जिसके अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का भी सार्वभौमिकरण किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा एवं प्रत्येक 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सकल नामांकन दर 2012 तक 70 प्रतिशत एवं 2016–17 तक शत–प्रतिशत की जायेगी।

राज्य में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बालिकाओं को आवासीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु राजीव गांधी नवोदय एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण कर कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिका को ₹ 1000 तथा कक्षा 9 उत्तीर्ण कर कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाली बालिका को ₹ 2000 का प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा समाज के निर्धनतम तथा अपवंचित वर्ग, खनन कार्य व सीजनल मजदूरों के बच्चों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु "मुस्कान परियोजना" चलाई जा रही है तथा "पहल कार्यक्रम" को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवाचारी क्रियाकलाप के रूप में संचालित किया जा रहा है।

राज्य में 100 माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत 500 नये विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन द्वारा राज्य के 2000 विद्यालयों में दक्षता आधारित अधिगम (कम्पीटेन्सी बेस लर्निंग) का अभिनव प्रयोग किया गया है। अब इसे राज्य के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जायेगा तथा कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा के प्रश्न पत्र भी इसी आधार पर तैयार किये जायेंगे।

सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तहसील स्तर पर नाना जी देशमुख आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का भी विचार है।

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में सरकार द्वारा अपने कुल अनुमानित व्यय का 16.94 प्रतिशत अर्थात् लगभग ₹ 2617.70 करोड़ का प्राविधान है।

उच्च शिक्षा :

राज्य सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयासरत है। उच्च शिक्षा में विशिष्ट एवं उत्कृष्ट अध्ययन केन्द्र के रूप में स्थापित बहुप्रतीक्षित दून विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2009–10 में दो विषय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया जा चुका है जबकि वर्ष 2010–11 में तीन नये विषय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया जायेगा। वर्ष 2010–11 में दून विश्वविद्यालय हेतु ₹ 16 करोड़, कुमायूँ विश्वविद्यालय हेतु ₹ 24 करोड़ एवं उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हेतु ₹ 4.70 करोड़ का प्राविधान सहित उच्च शिक्षा हेतु कुल ₹ 170.27 करोड़ का प्राविधान है।

तकनीकी शिक्षा :

राज्य के त्वरित विकास के लिए प्रशिक्षित युवा पीढ़ी की उपलब्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकार इस पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने तथा उद्योगों में प्रशिक्षित मानव शक्ति पूर्ति हेतु प्रयासरत है। राज्य में निजी क्षेत्र के अतिरिक्त राजकीय क्षेत्र में 37 पॉलिटेक्निक तथा तीन इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए जनपद पौड़ी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन0आई0टी0) एवं उत्कृष्ट प्रबन्धन शिक्षा के लिए जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई0आई0एम0) की स्थापना भी प्रस्तावित है। भारत सरकार के सहयोग से पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली, कनालीछीना तथा डीडीहाट में समेकित पॉलिटेक्निक का विकास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का भवन निर्माण भी शीघ्र कराया जाना प्रस्तावित है। तकनीकी शिक्षा हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 101. 28 करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृति :

राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण–संवर्द्धन, प्राचीन व दुर्लभ पाण्डुलिपियों के संग्रहण तथा संरक्षण आदि कार्यों हेतु विभिन्न क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं। देहरादून में ललित कला अकादमी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जबकि जनपदों में प्रेक्षा गृहों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य अभिलेखागार में अत्यन्त प्राचीन एवं ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटाईजेशन एवं माइक्रो

फिल्मिंग की जा रही है। राज्य में देश के पहले हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की जायेगी। प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों, कवियों की कृतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी के भवन का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

संस्कृति विभाग हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 11.09 करोड़ का प्राविधान है।

खेल एवं युवा कल्याण :

राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। हल्द्वानी में उच्च स्तरीय सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर की स्थापना की जायेगी। जनपदों में निर्माणाधीन स्टेडियम, इन्डोर हाल, छात्रावास आदि का निर्माण सहित मैदानों का विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। जनपद चमोली के औली में स्कीइंग एवं देहरादून में आईस स्केटिंग के लिए उच्च तकनीकी तथा अपनी तरह के अनूठे क्रीड़ा केन्द्र हमने स्थापित किए हैं जिससे उत्तराखण्ड देश में उत्कृष्ट शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।

खेल विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में ₹ 10.08 करोड़ की व्यवस्था है।

युवा कल्याण हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 26.54 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत मिनी स्टेडियमों का निर्माण, पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्तों का भुगतान, ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण, रोजगार परक प्रशिक्षण आदि कार्य किये जायेंगे। विकास खण्ड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमाण्डर का मानदेय ₹ 300 से बढ़ाकर ₹ 600 प्रतिमाह किया जायेगा। प्रदेश के पंजीकृत युवा दलों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि ₹ 2000 से बढ़ाकर ₹ 4000 की जायेगी। विकास खण्ड स्तर पर तैनात की जाने वाली महिला संगठिका का मानदेय ₹ 1500 से बढ़ाकर ₹ 2500 किया जायेगा। जिला युवा समिति को ₹ 2000 तथा क्षेत्रीय युवा समिति को ₹ 1000 प्रतिमाह मानदेय स्वीकृत किया जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर तैनात किए जाने वाले हल्का सरदार का मानदेय ₹ 150 से बढ़ाकर ₹ 300 किया जायेगा। प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों का मानदेय भी ₹ 120 से बढ़ाकर ₹ 150 किया जायेगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी संचार माध्यमों के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाने हेतु कार्यरत है। प्रदेश सरकार मीडिया के हितों के लिए प्रयत्नशील है। पत्रकारों के कल्याण पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान देते हुए आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों की सहायता के लिए पत्रकार कल्याण कारपस फण्ड बनाया गया है। परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही

है तथा श्रमजीवी पत्रकारों को अनुमन्य चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अलग से धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर प्रेस क्लबों की स्थापना सहित जनपदों में आधुनिक अवस्थापना सूचना तंत्र स्थापित किया जायेगा।

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु विभाग द्वारा साप्ताहिक न्यूज मैगजीन प्रयसारित करायी जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनल एवं आकाशवाणी के माध्यम से विकास योजनाओं एवं कुम्भ–2010 का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है। कुम्भ मेला–2010 में देश–विदेश के मीडिया प्रतिनिधियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार में एक हाईटेक मीडिया सेन्टर की स्थापना भी की गई है।

सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण व संवर्द्धन करने तथा विभिन्न विषयों पर जन–जागरुकता के प्रसार हेतु पंजीकृत सांस्कृतिक दलों द्वारा विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराकर स्थानीय लोक–कला एवं संस्कृति का भी संरक्षण व संवर्धन किया जा रहा है।

पत्रकारों हेतु आवासीय भूमि व आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार पुरम की स्थापना की कार्यवाही की जायेगी।

सूचना विभाग के विभिन्न कार्यकलापों हेतु ₹ 20.81 करोड़ का प्राविधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

उत्तराखण्ड राज्य नेपाल एवं चीन की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमाओं से लगा हुआ है। प्रदेश का अधिकांश भू–भाग पर्वतीय एवं वन क्षेत्र से आच्छादित है। प्रदेश में अनेक राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक एवं पर्यटक स्थल होने के कारण वर्षभर प्रदेश की जनसंख्या के लगभग पांच गुना श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आगमन बना रहता है। भौगोलिक विषमताओं, विशिष्टताओं एवं सामरिक तथा धार्मिक महत्व के कारण यह प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पुलिस बल को अत्याधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करने व उपलब्ध पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर समस्त आकस्मिक घटनाओं से निपटने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही इस मध्य पुलिस के जवानों की सुविधाओं की दृष्टि से विभिन्न कार्य किए गये हैं। टनकपुर में फायर स्टेशन हेतु पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। जल पुलिस एवं पर्यटन पुलिस की भी व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान में कुम्भ मेले का सफल आयोजल चल रहा है, जिसमें देश एवं विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। महाकुम्भ का सफल आयोजन सरकार के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार

एवं अन्य राज्य सरकारों के सहयोग से कुम्भ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी एवं त्रुटि–रहित बनाये जाने का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया गया है।

पुलिस विभाग हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 566.84 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्व :

सरकार भूमि अभिलेखों तथा सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन व नामान्तरण प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रयासरत है। इस हेतु राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 15 करोड़ का प्राविधान है। उत्तराखण्ड देश का अनूठा राज्य है जहाँ एक बड़े भू–भाग में राजस्व पुलिस की व्यवस्था है। राजस्व पुलिस की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कानूनगो व पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु ₹ 3 करोड़, तहसील भवनों के निर्माण के लिए ₹ 1.5 करोड़ सहित राजस्व विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में ₹ 120.50 करोड़ का प्राविधान है। सरकार पर्वतीय क्षेत्र में स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु भी प्रयास कर रही है।

आपदा प्रबन्धन :

हमारा प्रदेश प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। आपदा न्यूनीकरण हेतु प्रशिक्षण के साथ–साथ खोज एवं बचाव कार्य तथा प्रतिक्रिया कार्यों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपदा प्रबन्धन कार्यों हेतु विकास खण्ड स्तर पर आपदा प्रबन्धन ग्रुप तैयार किये जायेंगे। साथ ही एस0एस0बी0 एवं आई0टी0बी0पी0 के साथ सामन्जस्य स्थापित किया जायेगा ताकि आपदा की स्थिति में समय से जनता की जानमाल की सुरक्षा की जा सके। आपदा प्रबन्धन हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 180.60 करोड़ का प्राविधान है।

पंचायती राज :

संविधान के 73वें संशोधन के आलोक में राज्य सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पंचायतों को अनुदान देने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गये हैं। सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला नियोजन समितियों का गठन किया है। इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार की योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। वर्ष 2010–11 में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ₹ 82.43 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास :

राज्य में केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में अब तक राज्य में लगभग ₹ 519 करोड़ व्यय करते हुए 382 लाख मानव दिवसों का सृजन किया है। वर्ष 2010–11 में ₹ 500 करोड़ व्यय कर 350 लाख

मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक 2592 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर ₹ 608 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2010–11 में 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है जिस हेतु ₹ 250 करोड़ व्यय का अनुमान है।

पाँच जनपदों के 17 विकास खण्डों में आजीविका अवसर उपलब्ध कराने हेतु बाह्य सहायतित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिस हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 38.73 करोड़ का प्राविधान है। सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत पाँच जनपदों के 9 सीमान्त विकास खण्डों के लिए वर्ष 2010–11 में ₹ 15 करोड़ का प्राविधान है।

विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु विकास केन्द्र बिन्दु अवधारणा पर आधारित 670 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के विकास हेतु अटल आदर्श ग्राम योजना का शुभारम्भ वर्ष 2009–10 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस दिश में विशेष प्रयास किये जायेंगे।

ग्राम्य विकास विभाग के लिए वर्ष 2010–11 में ₹ 517 करोड़ का प्राविधान है।

विधायक निधि :

विधायक निधि को ₹ 106.5 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 142 करोड़ किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

प्रदेश में विज्ञान का लोकव्यापीकरण सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग, विकास व अन्य क्रिया कलापों में अंतरिक्ष उपयोग तकनीकी का समावेश और जैव प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रति वर्ष पुरस्कृत करेगी। पूरे प्रदेश में विज्ञान यात्राएं चलायी जायेंगी, जिससे इण्टर कॉलेजों को जोड़ा जायेगा। विद्यालयों में साइंस क्लब बनाए जायेंगे। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की डिजिटल मैपिंग की जायेगी। विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 3.35 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी का हर क्षेत्र में उपयोग करना अपरिहार्य है ताकि कार्यकुशलता, सटीकता एवं त्वरित क्रियान्वयन तथा जनता के द्वार पर सूचना प्राप्ति सम्भव हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्टेट वाइड एरिया नैटवर्क (SWAN) की स्थापना प्रगति पर है जो शीघ्र पूर्ण हो जायेगा। आम जनता को उनके द्वार तक सूचना की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में 2804 केन्द्रों की स्थापना का भी प्रयास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 6–7 गांवों के मध्य एक सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित हो सकेगा जहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही स्टेट डाटा सैन्टर की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 15 विभागों की परियोजनाएँ तैयार की गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 11.20 करोड़ का प्राविधान है।

पर्यटन :

भौगोलिक, पर्यावरणीय, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक आदि की दृष्टि से धरती के स्वर्ग उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। विभिन्न पर्यटक स्थलों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 13वें वित्त आयोग के माध्यम से अगले पाँच वर्षों में ₹ 100 करोड़ प्राप्त होगा। साथ ही साहसिक पर्यटक की दृष्टि से भी प्रदेश में अपार सम्भावनाएँ हैं। भारत सरकार की सहायता से हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनि की रेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट सहित देहरादून–हरिद्वार पर्यटन सर्किट, कुमायूँ में कथ की नाऊ–इको खेत–मानिला–भिकियासैंण–नीलेश्वर मन्दिर–जैनल–सनारा–मासी–चौखुटिया–द्वाराहाट–कौसानी–बागेश्वर पर्यटन सर्किट, निर्मल गंगोत्री मेगा पर्यटन सर्किट, पंचप्रयाग–श्रीनगर–कालीमठ पर्यटन सर्किट, पुरोला–नैटवाड़–हर की दून पर्यटन सर्किट, भवाली–रामगढ़–मुक्तेश्वर–धारी–भीमताल–सात ताल–हैड़ाखान–हल्द्वानी पर्यटन सर्किट, हरिपुरा जलाशय–नानक सागर जलाशय–श्यामलाताल–मायावती–सातताल–हेड़ाखान पर्यटन सर्किट तथा औली का ईको टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में विकास, टिहरी झील पर्यटन डेस्टीनेशन आदि विकसित किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड के युवक/युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ''वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना'' चलाई जा रही है। इस स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 2771 लोग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना को आगे भी चलाया जायेगा। डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी होम स्टे योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। लोक निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में रोप–वे का निर्माण प्रस्तावित है। चारधाम आदि मुख्य पर्यटन मार्गों व स्थानों से ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कर इन मार्गों व स्थानों को प्रदूषण मुक्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय महत्व के दृष्टिगत ईको टूरिज्म को भी पर्याप्त बढ़ावा दिया जा रहा है। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं एवं बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए सभी सम्भावित क्षेत्रों का दोहन किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से ₹ 350 करोड़ की योजनाओं की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है।

पर्यटन क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 85.19 करोड़ का प्राविधान है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 श्रेणी को खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विशेष प्रयासरत है। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना के लिए भी पर्याप्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चार सीमान्त जनपदों के 5 विकास खण्डों

की गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनैक्शन योजनान्तर्गत अब तक लगभग ग्यारह हजार से अधिक गैस कनैक्शन दिये जा चुके हैं जिसे आगे भी चलाया जा रहा है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग व फोरमों के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु भी राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 2009–10 में गेहूँ, धान एवं चावल की रिकार्ड खरीद की गयी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 30.48 करोड़ का प्राविधान है।

श्रम, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :

राज्य सरकार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करते हुए सेवायोजकों एवं श्रमिकों के मध्य सौहार्द बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना एवं श्रम चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याण के लिए समुचित ध्यान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुछ नये चिकित्सालय व औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही राज्य में ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में श्रम विभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों हेतु ₹ 32.44 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में 106 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं तथा कुछ और आई0टी0आई0 स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। कतिपय आई0टी0आई0 को विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में ₹ 43.05 करोड़ का प्राविधान है।

नियोजन :

प्रदेश के चहुँमुखी विकास हेतु जहां एक ओर अच्छे नियोजन का महत्व है, वहीं आंकड़ों का एकत्रीकरण व उनका उपयोग, योजनाओं का नियमित मूल्यांकन, कार्यों का सत्यापन, गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा लोक निजी सहभागिता आधार पर अधिक से अधिक वित्त पोषण आकर्षित करना भी महत्वपूर्ण है। परियोजनाओं एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की तकनीकी जांच की व्यवस्था सेवानिवृत्त अभियन्ताओं तथा वाह्य संस्थाओं से कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण तृतीय पक्ष से कराये जाने हेतु अनुबन्ध भी किये गये हैं। विभिन्न विकास योजनाओं की उपादेयता सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं के सामाजिक व आर्थिक मूल्यांकन हेतु तृतीय पक्ष संस्थाओं का चयन किया गया है।

लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) के माध्यम से पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ के सहयोग से कतिपय योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इसे आगे भी जारी रखा जा रहा है।

नियोजन विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 23.33 करोड़ का प्राविधान है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2010–11 में ₹ 14821.67 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में ₹ 12158.79 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹ 2662.88 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2010–11 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश ₹ 6368.90 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 2344.60 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय :

वर्ष 2010–11 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर ₹ 1299.63 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में ₹ 1578.93 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर ₹ 4546.20 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग ₹ 420.73 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ₹ 1003.40 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2010–11 में कुल व्यय ₹ 15451.95 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में ₹ 11996.69 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा ₹ 3455.26 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में ₹ 5117.38 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा ₹ 10334.57 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में ₹ 2974.07 करोड़ आयोजनागत तथा ₹ 9022.62 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार ₹ 2143.31 करोड़ आयोजनागत पूंजी लेखा तथा ₹ 1311.95 करोड़ आयोजनेत्तर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2010–11 में अनुमानित घाटा ₹ 630.28 करोड़ है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2010–11 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ₹ 600 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2010–11 में आरम्भिक शेष को लेते हुए अन्तिम शेष ₹ 4.72 करोड़ धनात्मक होना अनुमानित है।

मान्यवर,

मेरा यह मानना है कि जहां राज्य सरकार को एक लोक हितैषी संस्था के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए मूल सिद्धान्त तथा लक्ष्य हमारे महान संविधान में निर्धारित हैं, वहीं दक्षता, पारदर्शिता एवं समय से कार्यपूर्ति आदि पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एक ओर जनता की चुनी हुई सरकार होने के नाते हमारा लोक धन की सुरक्षा व संरक्षण करने का दायित्व है, वहीं दूसरी ओर उस धन का सदुपयोग जनहित व लोक कल्याण के लिए करने का भी दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम इस गुरुत्तर दायित्व का निर्वहन करने में सफल रहेंगे।

मुझे उत्तराखण्ड के निवासियों व कर्मचारियों पर गर्व है कि राज्य निर्माण के बाद उन्होंने राज्य के तीव्र विकास के लिए मनोयोग से सहयोग दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका योगदान हमें आगे भी मिलता रहेगा।

अभी भी जंग जारी है,
वेदना सोई नहीं है।
मनुजता होगी धरा पर,
संवेदना खोई नहीं है।
किया है बलिदान जीवन
निर्बलता ढोई नहीं है।
कह रहा हूँ ऐ वतन,
तुझसे बड़ा कोई नहीं है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2010–11 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

फाल्गुन 26, शक सम्वत् 1931
तद्नुसार
17 मार्च, 2010

पृष्ठ संख्या–1 की पांचवी पंक्ति के अन्त में ''हो रहा है'' के स्थान पर ''हुआ है'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–1 के द्वितीय प्रस्तर की प्रथम पंक्ति में ''हर्ष'' के स्थान पर ''प्रसन्नता'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–1 के द्वितीय प्रस्तर की नवीं पंक्ति में ''अत्यन्त'' के स्थान पर ''और भी'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–1 के द्वितीय प्रस्तर की दसवीं पंक्ति में ''राज्य के'' के स्थान पर ''हमारे'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–2 के प्रथम पंक्ति में ''केन्द्रीय'' शब्द हटा दिया।

पृष्ठ संख्या–2 की द्वितीय पंक्ति में ''हेतु'' के बाद ''हमको सराहा गया और न केवल हमारी प्रसन्सा की गई बल्कि'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–3 के तृतीय प्रस्तर की तृतीय पंक्ति में ''मुक्त किया'' के बाद ''था'' के स्थान पर ''हुआ है'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–4 की तृतीय पंक्ति में ''पूर्णतया वैट'' के बाद ''से हमने मुक्त कर दिया है'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–4 के द्वितीय प्रस्तर के द्वितीय पंक्ति में ''किया जायेगा'' के स्थान पर ''कर दिया है। यह भी सरकार का एतिहासिक निर्णय है'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–4 के तृतीय प्रस्तर के चतुर्थ पंक्ति में ''किया जायेगा'' के स्थान पर ''से मुक्त कर दिया गया है'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–4 के चतुर्थ प्रस्तर के तृतीय पंक्ति में ''किया जायेगा'' के स्थान पर ''से मुक्त कर दिया गया है'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–4 के चतुर्थ प्रस्तर के तृतीय पंक्ति में ''किया जायेगा'' के स्थान पर ''कर दिया है'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–4 के पांचवें प्रस्तर के चतुर्थ पंक्ति में ''किया जायेगा'' के स्थान पर ''कर दिया गया है'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–5 के प्रथम प्रस्तर के तृतीय पंक्ति में ''किया था'' के स्थान पर ''कर दिया'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–5 के प्रथम प्रस्तर के तृतीय पंक्ति में ''वर्ष 2010–11 में'' के बाद ''उसको यथावत रखते हुए'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–5 के प्रथम प्रस्तर के अन्त में "किया जायेगा" के स्थान पर "कर दिया है" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–5 के द्वितीय प्रस्तर के अन्त में "किया जायेगा" के स्थान पर "कर दिया है" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–6 के तृतीय प्रस्तर में द्वितीय पंक्ति में "न होने के कारण...... करवायी जायेगी" के स्थान पर "नहीं है, उसको भी बहुत जल्दी नाईट लैण्डिग व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों आदि को असुविधा होती है उसको दूर किया जा सके" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–7 के द्वितीय प्रस्तर के चतुर्थ पंक्ति में "में वृद्धि.....संकल्प हैं" के स्थान पर "होनी थी" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–7 के द्वितीय प्रस्तर के छठी पंक्ति में "कुछ" के स्थान पर "अभी 4" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–7 के द्वितीय प्रस्तर के सातवीं पंक्ति में "द्वारा इस महत्वाकांक्षी" के स्थान पर "ने इसकी स्वीकृति दे दी है और इस" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–7 के द्वितीय प्रस्तर के आठवीं पंक्ति में "स्वीकृति प्रदान कर दी गई है" के स्थान पर "हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–8 के द्वितीय प्रस्तर के अन्त में "की जायेगी" के स्थान पर "करना भी हमारा लक्ष्य है" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–9 के प्रथम प्रस्तर के पांचवीं पंक्ति में "व्यय किया जायेगा" के स्थान पर "की व्यवस्था की जायेगी" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–11 के द्वितीय प्रस्तर के सातवीं पंक्ति में "किये गये हैं" के स्थान पर "रखा गया है" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–11 के तृतीय प्रस्तर के द्वितीय पंक्ति में "की जायेगी जिनमें" के स्थान पर "करने का महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है जिनसे" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–12 के द्वितीय प्रस्तर के प्रारम्भ में "श्रीमन्, आपको यह जानकर प्रशंसा होगी कि" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–12 के तृतीय प्रस्तर के अन्त में "श्रीमन्, मुझे यह भी सम्मानित सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि टाटा ग्रुप से बात होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि आगामी 3 वर्षों में जिस तरह से यहाँ काम होगा वह पूरी दुनिया का आटोमोबाईल का सबसे बड़ा केन्द्र उत्तराखण्ड बन जाएगा। श्रीमन्, जहाँ हरिद्वार में हीरो होण्डा जो अपने उत्पादन से अपनी प्रगति के शिखर छू रहा है, अभी तक दुनिया का जो

मानक था, वह 19 सेकेण्ड में एक गाड़ी निकालने का था, अब दुनिया का रिकार्ड उत्तराखण्ड की धरती ने तोड़ा है और अब 17 सेकेण्ड में एक गाड़ी निकलनी शुरू हो गई है।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–14 के प्रस्तर संख्या 1 की पंक्ति संख्या 3 में शब्द ''सुविधा'' के बाद ''भी'' जोड़ दिया जाय तथा शब्द ''गई है'' के स्थान पर ''जायेगी'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–14 के प्रस्तर संख्या 2 की पंक्ति संख्या 2 में शब्द ''देकर'' के बाद ''राज्यों को'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–14 के प्रस्तर संख्या 3 की पंक्ति संख्या 7 में शब्द ''एम्बुलेंस'' के बाद ''ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं श्रीमन्, यह जानकर आपको खुशी होगी कि इसी बीच इस डेढ़ साल की अवधि में 1260 बच्चों का चलती हुई एम्बुलेंस में पैदा होकर पूरी दुनियां में रिकार्ड तोड़ा है।'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–15 के प्रस्तर संख्या 1 की पंक्ति संख्या 2 में शब्द ''सहायता'' के बाद ''व्यवस्था की'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–15 के प्रस्तर संख्या 2 की पंक्ति संख्या 2 में शब्द ''प्राविधान है'' के बाद ''यह जेंडर बजट जो अभी तक हमने पिछली बार 1205 करोड़ का रखा था'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–15 में शीर्षक ''राजकोषीय सेवाएं'' की पंक्ति संख्या 4 में शब्द ''लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।'' के स्थान पर ''नहीं लगाया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं इन पर किसी भी प्रकार का कोई कर प्रस्तावित नहीं है।'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–16 की पंक्ति संख्या 1 में शब्द ''किया जायेगा'' के स्थान पर ''कर दिया गया है।'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–17 के प्रथम प्रस्तर की पंक्ति संख्या 4 में शब्द ''समाप्त किया जायेगा'' के स्थान पर ''कर दिया गया है'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–17 के प्रस्तर संख्या 2 की पंक्ति संख्या 3 में शब्द ''समाप्त किया जायेगा'' के स्थान पर ''खत्म कर दिया गया है'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–17 के प्रस्तर संख्या 3 की पंक्ति संख्या 4 में शब्द ''समाप्त किया जायेगा'' के स्थान पर ''किया गया है'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–17 के प्रस्तर संख्या 4 की अंतिम पंक्ति में शब्द ''प्राप्ति का लक्ष्य है'' के बाद ''जो गत वर्ष से काफी अधिक है'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–20 की पंक्ति संख्या 3 में शब्द ''करायेगी'' के स्थान पर ''कराने का निश्चय किया है।'' शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–20 के प्रस्तर संख्या 1 की पंक्ति संख्या 4 में शब्द "की कार्यवाही गतिमान है" के स्थान पर "कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है।" शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–21 में शीर्षक नागरिक उड्डयन की पंक्ति संख्या 6 में शब्द "करवाई जायेगी ताकि विमान सेवाएं नियमित एवं सुचारू रूप से चल सकें" के स्थान पर "नहीं थी उसको भी बहुत जल्दी शुरू कराया जायेगा।" शब्द जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–26 के तृतीय प्रस्तर में "गत 30–35 वर्षों से लम्बित" के पश्चात् महत्वाकांक्षी जमरानी बांध.........सुनिश्चित हो सके" के स्थान पर "जिस बांध के बारे में मैंने कहा है, जबकि लोग उसकी आशा छोड़ चुके थे। आज वह महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी और बहुआयामी योजना जो न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश सहित बहुत से प्रदेशों में उसका लाभ मिलेगा और दोनों प्रदेश संयुक्त रूप से उसको बनाएंगे। यह जमरानी बांध बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे।" पढ़ा गया।

पृष्ठ संख्या–27 के द्वितीय प्रस्तर के प्रारम्भ में "श्रीमन्, पेयजल के निश्चित रूप से इस समय हम संकट से गुजर रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्रोत खत्म हो गये हैं। भूकम्प और आग लगने से हमारे जल स्रोत धीरे–धीरे सूख रहे हैं।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–28 के द्वितीय प्रस्तर के अन्त में "श्रीमन्, हमने गंगा की सफाई पर ध्यान दिया है। इसके लिए उत्तराखण्ड के जवानों को विशेष रूप से इससे जोड़ा है।" पढ़ा गया।

पृष्ठ संख्या–30 की छठी पंक्ति में "सड़कों का कार्य किया जायेगा" के बाद "और श्रीमन्, मुझे यह कहते हुये खुशी हो रही है कि" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–30 की सातवीं पंक्ति में "1961 किलोमीटर की 156 सड़कें" के बाद "हम भविष्य में बनायेंगे, जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–30 में शीर्षक औद्योगिक विकास के पश्चात् "श्रीमन्, औद्योगिक विकास की दिशा में, जैसे कि हम सबको मालूम है कि जो औद्योगिक पैकेज हमको मिला था, वह वर्ष 2013 तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। जो वर्तमान में 2010 तक ही रह गया है, यदि यह औद्योगिक पैकेज नहीं बढ़ता है तो इसका विपरीत असर न केवल हमारे नौजवानों पर पड़ेगा, बल्कि इस प्रदेश के विकास पर भी बहुत असर पड़ेगा। इसके लिये हमने समय–समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, उद्योग मंत्री जी से, वाणिज्य मंत्री जी से सम्पर्क किया है और मैं अपने उत्तराखण्ड के सभी सांसदों का भी आभारी हूँ कि जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि हमारे सभी सांसद और हम लोग मिलना चाहते हैं तो सभी सांसद और हम इस विषय पर प्रधानमंत्री जी से मिले और उनसे अनुरोध कर चुके हैं कि हमारा औद्योगिक पैकेज 2020 तक बढ़ाया जाय। साथ ही साथ हमने यह भी कहा है कि 2013 तक हमारा हक

है, क्योंकि पूर्व में हमें यह पैकेज 2013 तक मिला था। श्रीमन्, मुझे आशा है कि जब सभी सांसद गये हैं तो इसे बढ़ना चाहिये और जरूर बढ़ेगा। श्रीमन्, हमने यह भी तय किया है, क्योंकि औद्योगिक पैकेज की अवधि 31 मार्च, 2010 तक ही है। यदि 24–25 तारीख तक इसके कोई संकेत नहीं मिलते हैं तो मैं पूरे मंत्रिमण्डल के साथ पुनः प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा। श्रीमन्, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि सब चाहेंगे तो पूरा सदन जा सकता है और पूरा सदन जायेगा। मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि यह हमारे उत्तराखण्ड के विकास का प्रश्न है।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–33 की द्वितीय पंक्ति के ''हमें अवसर प्राप्त हुआ है'' के बाद ''मैं दूसरे शाही स्नान के शाँतिपूर्वक व निर्विघ्न सम्पन्न होने पर माननीय शहरी विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि इस एतिहासिक मेले के आयोजन का सौभाग्य हमें मिला। इस समय पूरे विश्व का, पूरी सदी का सबसे बड़ा मेला हमारे यहां हो रहा है।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–33 की आठवीं पंक्ति में ''किये गये हैं'' के बाद ''यह इतिहास में पहला अवसर है जब 80 प्रतिशत स्थाई प्रवृत्ति के कार्य किये गये हैं। जब कि आज तक 80 प्रतिशत अस्थाई प्रवृत्ति के कार्य होते थे। इस कार्य में उन्होंने जो सहयोग किया है, उसके लिये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले राज्य ही इस व्यय का वहन करते थे। लेकिन जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी से बात की तो अनुरोध किया था कि कुम्भ न केवल उत्तराखण्ड का मेला है। बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव का मेला है और उन्होंने मेरे अनुरोध पर विचार किया, उसके लिये मैं उनका आभारी हूँ कि ₹ 400 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उन्होंने इस कुम्भ के लिये दी है।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–34 की तृतीय पंक्ति के अन्त में ''श्रीमन्, मुझे यह कहते हुये खुशी हो रही है कि लगभग 50 देशों से विभिन्न मेल और अन्य सूचना के माध्यमों से पूरी दुनिया ने इस बात पर खुशी व्यक्त की है कि जो हरिद्वार में कुम्भ मेला हो रहा है, वह ऐतिहासिक हो रहा है और कुम्भ की व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–38 की 10वीं पंक्ति में शब्द ''(आदि भोग)'' के बाद ''जो भोग वहां पर लगता है उसका'' जोड़ा गया है। 12वीं पंक्ति के अंत में ''इससे यहां पर करोड़ों–करोड़ रुपये की आय होगी। जो करोड़ों लोग बाहर से आते हैं और प्रसाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो यहीं से उत्पादित हो, इस दिशा में प्रयास किया जायेगा।'' 17वीं पंक्ति में शब्द ''लगभग........200 करोड़ अधिक है।'' के स्थान पर ''श्रीमन्, जैसे मैंने कहा कि एक हजार चार सौ सत्तर करोड़ का प्राविधान इसमें किया गया है। जो गत वर्ष की तुलना में 200 करोड़ अधिक है।'' पढ़ा गया।

पृष्ठ संख्या–39 की 8वीं पंक्ति के अंत में "महिलाओं की दिशा में श्रीमन्, मैं यह भी उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि उत्तराखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य है श्रीमन्, जिसने महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया है।" पढ़ा गया।

पृष्ठ संख्या–40 की 7वीं पंक्ति में शब्द "उत्तराखण्ड" के बाद "देश में सर्वाधिक" पढ़ा गया। 8वीं पंक्ति में शब्द "इस हेतु .... विशेष योगदान है" के स्थान पर "और यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरे देश का उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसमें 12 हजार वन पंचायतें हैं और यहां के लोग वनों के अपने बच्चों की तरह पालते हैं।" पढ़ा गया।

पृष्ठ संख्या–41 की तीसरी पंक्ति में शब्द "ट्रीटमेन्ट कार्य" के बाद "सहित बहुत सारी योजनाएं हमारे अपने लिए हैं।" पढ़ा गया। 7वीं पंक्ति में शब्द "आदि कार्य किए जायेंगे" के स्थान पर "अपने में ऐतिहासिक कार्य है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ जी के पास में हम पूरे देश से एकता वन स्थापित करना चाहते हैं। जहां सभी प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होगा। श्रीमन्, वो स्थान होगा जो सभी प्रदेश आ करके उस स्थान पर वृक्षारोपण करेंगे और पूरा देश एकता के सूत्र में पिरो जायेगा। वहीं हमने श्रीमन्, ऐसे नक्षत्र वाटिका की स्थापना करने की कोशिश की है कि ऐसे वृक्ष जिनके स्पर्श मात्र करने से प्रेरणा मिलती है। जिस वृक्ष के नीचे रहने से शान्ति मिलती है। या ऐसा वृक्ष जिसकी पत्ती से या जिसके प्रयोग से विभिन्न व्यक्ति का उत्थान होता है, ऐसे सभी वृक्षों को एक नक्षत्र वन के रूप में आएंगे जहां हम देश और दुनिया के लोगों को बुला सकेंगे, आप आईये और अपनी सुख और शान्ति लेकर जाईये।" पढ़ा गया।

पृष्ठ संख्या–42 की चौथी पंक्ति में शब्द "स्थापित किये जायेंगे" के बाद "यह भी श्रीमन्, बिल्कुल अलग और अभिवन प्रयोग है।" पढ़ा गया। 13वीं पंक्ति में शब्द "गया है।" के बाद "यह पहला राज्य है जिसमें गन्ना किसानों की समस्याओं को देखा है और सर्वाधिक उनको मूल्य घोषित किया है।"

पृष्ठ संख्या–43 की 7वीं पंक्ति में शब्द "कास्तकारों के .... प्रयास किये जा रहे हैं।" के स्थान पर "मुझे इस सदन को यह बताते हुए भी खुशी होती है श्रीमन्, कि चाय बागान की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखण्ड की चाय पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में अपने प्रकार की गुणवत्ता लिये है, ये चाय बोर्ड ने भी इस दिशा में चाय प्रमाणीकरण किया है। श्रीमन्, रेशम जड़ी–बूटी तथा सुगंध पौधों के रोपण की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं।" पढ़ा गया।

पृष्ठ संख्या–44 की दूसरी पंक्ति के अंत में "श्रीमन्, जड़ी–बूटी के क्षेत्र में इसको एक व्यापक तरीके से ये सरकार ने अपने हाथ में लिया है श्रीमन्, हमारा भरोसा है कि आगामी तीन वर्षों के अंदर जो हमारी कार्ययोजना है प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्र से

एक हजार करोड़ की जड़ी–बूटी का उत्पादन होगा और उसके दोहन की दिशा में, उसके विपणन की दिशा में और ये कहते हुए भी मुझे खुशी होती है कि आज देश का सबसे बड़ा फार्मास्टिक देहरादून के अंदर है। इससे जड़ी–बूटी की बहुत तेजी से उत्पादन और दोहन करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।''

पृष्ठ संख्या–45 के अन्त में ''हमारा जो ये बैंक है सहकारिता के क्षेत्र में ये प्रदेश का सशक्त बैंक होगा श्रीमन्, राज्य की स्थापना के समय और आज यदि इसका मूल्यांकन करें, तुलना करें तो श्रीमन्, इसने प्रगति के शिखर को चूमा है।'' पढ़ा गया।

पृष्ठ संख्या–46 के चौथी पंक्ति में ''देवभूमि 108'' के बाद ''आपात कालीन सेवा .... कीर्तिमान बनाया है'' के स्थान पर ''जिसका जिक्र श्रीमन्, मैंने कुछ देर पहले किया है यह पूरे देश और दुनिया में लोकप्रिय है, श्रीमन्, आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी होती है कि जहाँ हमने 108 को सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित किया था वह आज लोगों के लिए वरदान बन करके सामने आयी है, इतना ही नहीं उत्तराखण्ड के बाद तमाम देश के उन प्रदेशों में जिसमें दिल्ली हो चाहे हिमाचल हो चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो बहुत सारे प्रदेशों में श्रीमन्, यहाँ उत्तराखण्ड में आ करके 108 को देख करके अपने प्रदेशों में इसको शुरू करने पर विचार किया है, कुछ प्रदेशों ने शुरू कर दिया है और कुछ प्रदेश करेंगे। श्रीमन्, इतना काम 100 सालों में भी नहीं हो सकता है जो 108 ने डेढ़ साल में किया है, श्रीमन्, यह तो रिकार्ड है, यह गलतफहमी ऊधर से थी कि शायद यह केन्द्र पोषित है, यह केन्द्र पोषित योजना नहीं थी, यह उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलायी गयी योजना है।'' पढ़ा गया है।

पृष्ठ संख्या–47 के छठी पंक्ति में ''हल्द्वानी में'' के बाद नैफ्रोलॉजी यूनिट .... स्थापना की जायेगी के स्थान पर ''जो कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जन सहभागिता के माध्यम से भी बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम शुरू कर रहे हैं।'' पढ़ा गया है। इसी पृष्ठ के पहले पैरा की पाँचवी पंक्ति में ''अनुमन्य किया गया है'' के बाद ''श्रीमन्, यह देश का शायद दूसरा या तीसरा राज्य होगा जहाँ छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को हमने कर्मचारियों के हित में किया, वहीं इस प्रदेश में चिकित्सकों के हित में टिक्कू समिति की सिफारिशों को हमने लागू किया है।'' जोड़ा गया। इसी पैरा के छठी पंक्ति के ''नेत्र चिकित्सालय'' के बाद ''की हम स्थापना कर रहे हैं उसका काम बहुत जोरों पर है।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–48 के पाँचवें पंक्ति में ''दिया जायेगा'' के बाद ''उसको नियुक्त किया जायेगा, यह हमारी पहली योजना होगी। श्रीमन्, उन दूरस्थ गाँवों तक जाने के लिए भी हमने सचल चिकित्सालय एक करोड़ की लागत से बनने वाला ऐसा चिकित्सालय जिसके अन्दर अल्ट्रासाउन्ड मशीनें, ई0सी0जी0, एक्सरे मशीन और तमाम उपकरण है,

दूरस्थ क्षेत्रों में भी वह चिकित्सालय जहाँ तक भी रोडवेज की बस या जी0एम0ओ0, के0एम0ओ0 की बस जाती हो उस स्थान तक हमारा चिकित्सालय पहुँचता है और अन्तिम छोर के व्यक्ति को भी आज चिकित्सा उपलब्ध करायी जा रही है।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–49 के पंक्ति दसवीं के ''किए जायेंगे'' के बाद ''श्रीमन्, इस सदन को बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारे जो एम0बी0बी0एस0 कॉलेज हैं, जो हमारे एम0डी0 और एम0एस0 नहीं हो पा रहे थे, हमारे चिकित्सालयों में विशेषज्ञों की बहुत कमी थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद उन्होंने 80 पोस्ट ग्रेज्यूएट सीटें हमें उपलब्ध करायी हैं, इसलिए उनका भी में धन्यवाद करना चाहता हूँ।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–52 के दूसरे पैरा के पांचवी पंक्ति में ''प्रारम्भ किया जा चुका है'' के बाद ''श्रीमन्, दून को भी हम एक ऐसा विशिष्ट विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं जो देश और दुनिया के अन्दर अलग प्रकार का हो, इसलिए दून विश्वविद्यालय को उसकी विशिष्टताओं के साथ आगे बढ़ा रहे हैं'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–54 के शीर्षक संस्कृति की पाँचवीं पंक्ति में ''ललित कला अकादमी की'' के बाद ''बहुत शीघ्र स्थापना की जायेगी'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–54 के शीर्षक संस्कृति की आठवीं पंक्ति में ''अभिलेखों का'' के पश्चात् ''संयुक्त रूप से सुरक्षित रखा जा रहा है। यह देश में पहला होगा जब हिमालयन संग्रहालय की हम स्थापना कर रहे हैं।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–55 के शीर्षक खेल एवं युवा कल्याण की पंक्ति संख्या 7वीं में शब्द ''औली में'' के पश्चात् ''शीतकालीन क्रीड़ा का सबसे बड़ा केन्द्र स्थापित होगा। श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जहाँ हम पूरे देश के अंदर और पूरी दुनियाँ में जल क्रीड़ा में बहुत आगे है, वहीं पूरे एशिया में जो ओली है हमारा शीतकालीन क्रीड़ा का हमारा सबसे बड़ा केन्द्र बन जायेगा।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–56 के पंक्ति 8 में ₹ 600 प्रतिमाह किया जायेगा के बाद ''यह भी प्रदेश में पहली बार हुआ है। श्रीमन्, बहुत लम्बे समय से यह इनकी माँग थी अब इनका जो मानदेय है श्रीमन्, 300 से बढ़ाकर 600 कर दिया गया है।'' जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त इसी पृष्ठ के पृष्ठ–56 में 16वीं पंक्ति में ''₹ 300 कर दिया है'' के पश्चात् ''श्रीमन्, आदम जमाने का था। पिछले 15–20 साल से उनको ₹ 150 मिलता था।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–58 के प्रथम प्रस्तर की अंतिम पंक्ति में ''स्थापना भी की गई है'' के पश्चात् ''जिसमें श्रीमन्, एक ही समय में 100–200 लोग समाचार और सूचना दे सकते हैं और अपलिंकिंग कर सकते हैं, अपने समाचारों को अपने फूटेज को।'' जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–58 के द्वितीय पैरा की अंतिम पंक्ति में "संरक्षण व संवर्धन किया जा रहा है" के पश्चात् "मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि राज्य को स्थापना हुए इतने वर्षों बाद भी कोई पत्रकारपुरम अलग से कोई कालोनी नहीं है। बहुत लम्बे समय से हमारे पत्रकार मित्रों की माँग थी इसलिए सरकार ने पत्रकारों के लिए आवासीय भूमि व आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक पत्रकारपुरम् की भी स्थापना करने की दिशा में भी पहल की है।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–59 में शीर्षक गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा की पंक्ति 8 में "पर्यटकों का आगमन बना रहता है" के पश्चात् "श्रीमन्, इसलिए पाँच से छः गुना अधिक पर्यटक और तीर्थ यात्री आते हैं। यदि हमारी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ होती है तो हम 5 से 6 करोड़ लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं को जुटाते हैं। श्रीमन्, रास्तों का प्रयोग वे करते हैं, खाद्यान्न का करते हैं, रहने का करते हैं। यहाँ की सभी सुविधाओं का प्रयोग वो 6 करोड़ लोग लेते हैं। इसलिए हमारा जो प्रदेश है श्रीमन्, वह अन्य प्रदेशों से कहीं न कहीं भिन्न है। श्रीमन्, राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक एवं पर्यटक स्थल होने के कारण वर्ष भर में गतिविधियाँ रहती हैं।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–60 की सातवीं पंक्ति के अन्त में "यह भी देश में पहली बार होगा कि जल पुलिस ने सैकड़ों लोगों की जान को बचाया है। जब कि पर्यटन पुलिस की दिशा में हरियाली को यथावत और सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–61 के शीर्षक राजस्व की छठी पंक्ति में "पुलिस की व्यवस्था है।" के पश्चात् "देश का जो 1840 का जो पुलिस एक्ट था उसमें भी राजस्व पुलिस की कहीं व्यवस्था नहीं थी। यह देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें राजस्व पुलिस की व्यवस्था है और हम चाहते हैं कि उस राजस्व पुलिस की उस व्यवस्था को जहाँ पटवारियों चौकियों का, कानूनगो चौकियों का विस्तारीकरण होना है उसको भी हम और सुदृढ़ता से आगे बढ़ायेंगे।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–62 के तीसरे पंक्ति "जायेंगे" के बाद "श्रीमन्, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है हम यह चाह है कि हर विकास खण्ड स्तर पर यदि आपदा प्रबन्धन ग्रुप होंगे जहां हमारे प्रदेश के 95 विकास खण्ड हैं यदि एक ग्रुप भी हमारा पचास लोगों का बनता है तब बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जब आपदा के समय पर उनको कहीं भी और कभी भी बुलाया जा सकता है, उनके प्रशिक्षण के लिए हमने" जोड़ दिया जाय।

पृष्ठ संख्या–62 के अन्तिम पंक्ति के पहले पंक्ति में "गठन किया है" के बाद "इन जिला नियोजन समितियों के गठन करने से पंचायतीराज के क्षेत्र में होने वाले काम और तेजी से हो जायेंगे।"

पृष्ठ संख्या–64 के पंक्ति 15 में "प्राविधान है" के बाद "अटल आदर्श गांव की योजना है उसको हम पहले चरण में हमने न्याय पंचायतों के मुख्यालय में स्थापित किया है श्रीमन्, यह एक मॉडल होगा जिसका एक न्याय पंचायत में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, रोजगार, उद्यान, वानिकी, पशुपालन यह सभी दृष्टि से विकास खण्ड का वह केन्द्र होगा कि सारे विकास खण्ड उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे यदि यह योजना सफल होगी तो यह देश के अन्दर एक अदभुत प्रयोग हमारी धरती पर होगा। सारे बजट का प्राविधान किया गया है और इसमें भी किया गया है" जोड़ दिया जाय।

पृष्ठ संख्या–65 के पंक्ति 11 में "प्राविधान है" के बाद "श्रीमन्, हमारी सरकार की नीति है जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं जिनकी आगे बढ़ने की क्षमता है, हम उनको बढ़ायेंगे आपको बताते हुए खुशी हुई है कि पिछली बार 17 ऐसे नये वैज्ञानिकों को पूरे प्रदेश में चिन्हित किया था जिन्होंने राष्ट्र स्तर पर हमारा सम्मान बढ़ाया इसलिए 3 या 4 या 5 ऐसे युवा वैज्ञानिकों को ₹ एक–एक लाख देने की योजना बनायी है" को जोड़ दिया जाय।

पृष्ठ संख्या–68 के पंक्ति 11 में "दिया जा रहा है" के बाद "इस दिशा में जहाँ हमने गंगोत्री से आगे गौ मुख तक जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है उसमें विशेष पास लेकर जा सकता है और जहां इस प्रदेश को हरित प्रदेश घोषित किया है, इस प्रदेश में पर्यावरण की शुद्धता के लिए पॉलीथिन पर प्रतिबन्ध लगाया है" को जोड़ दिया गया है।

पृष्ठ संख्या–71 की पंक्ति 2 के अन्त में "श्रीमन्, जो औद्योगिक परिक्षेत्र यहाँ पर आ रहे हैं हमने उनसे अनुरोध किया है कि जितने भी हमारे आई0टी0आई0 हैं उनके अनुरूप हम जो भी वे ट्रेड चाहेंगे उसमें हम स्वीकृति देंगे और उन आई0टी0आई0 को वे अपनी गोद में लेंगे जितने भी हमारे छात्र–छात्राएँ उन आई0टी0आई0 में प्रशिक्षण लेंगे वे सीधे उन संस्थानों में जायेंगे हमने यह तय किया है कि बाहर से कोई नहीं आयेगा और 70 प्रतिशत यहीं के नौजवानों को रोजगार दिया जायेगा।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–71 के पहले प्रस्तर के अन्त में "श्रीमन्, मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि जहाँ हमने हरिद्वार में तृतीय पक्ष निरीक्षण की व्यवस्था की है जो भारत सरकार ने जिस संस्था को सर्वोच्च संस्था माना है तृतीय पक्ष की जांचकर्ता उस संस्था को हमने तृतीय पक्ष की जांचकर्ता संस्था नियुक्त किया है और इसलिए हम बहुत भरोसे के साथ कह सकते हैं कि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता उस तृतीय पक्ष के स्तर पर हमने सुनिश्चित किये हैं। श्रीमन्, प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में जहाँ 43.05 करोड़ का प्राविधान किया गया है वहीं नियोजन के क्षेत्र में पी0पी0 मोड और उसके प्रकोष्ठ सहित इस समय हमने ₹ 23.33 करोड़ का प्राविधान किया है।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–72 के चौथे प्रस्तर के अन्त में "श्रीमन्, यह जो वर्ष चल रहा है इसका लगभग 13 हजार 909 करोड़ का था जबकि श्रीमन्, यह वर्ष 2008–09 में 10 हजार 908 करोड़ का है तो श्रीमन्, लगातार काफी तेजी से हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–72 के 5वें प्रस्तर के अन्त में "श्रीमन्, दूसरा मैं आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहूँगा, आपके माध्यम से सदन का, कि ये जो पूंजीगत होता है यह ऋणात्मक ऋण का होता है इसमें भी हम इस समय काफी कमी लाये हैं।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–72 के छठे प्रस्तर के अन्त में "श्रीमन्, यह जो चालू वर्ष है इसमें यह ₹ 1 हजार 545 करोड़ था। 1 हजार 545 करोड़ से बढ़कर हम 2 हजार 344.60 करोड़ की अनुमानित पर आए हैं। यह भी श्रीमन्, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है।"

पृष्ठ संख्या–74 के चौथे प्रस्तर के अन्त में "श्रीमन्, इस बात की हमें खुशी है इस समय हम जहाँ कर रहित बजट पेश कर रहे हैं वहाँ हम सरप्लस बजट भी पेश कर रहे हैं।"

पृष्ठ संख्या–75 के द्वितीय प्रस्तर के अन्त में "श्रीमन्, इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण में अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों को भी नमन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ।" जोड़ा गया।

पृष्ठ संख्या–77 के द्वितीय प्रस्तर के अन्त में "मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ श्रीमन्, कि हमने तो संकल्प लिया है, कि हम अर्हनिश विकास करते जायेंगे, हमने तो संकल्प लिया है, कि हम अर्हनिश विकास करते जायेंगे, अध्यक्ष जी, यदि सभी का साथ रहा तो हम निश्चित रूप से उत्तराखण्ड को, धरती का स्वर्ग बनायेंगे। नमस्कार।" जोड़ा गया।

(शेष बजट भाषण यथावत् पढ़ा गया)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत सूचना प्रदेश की .... (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि कल हम फिर नियम–310 में सूचनाएं दे देंगे और कल इस पर चर्चा हो जाय, इनकी ग्राह्यता पर, यह मैं निवेदन आप से कर रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 की सूचनाएं फिर कल ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। कल सूचनाएं दुबारा दे दीजिए।

*श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत जो हमारी सूचना, योग प्रशिक्षित बेरोजगार हैं और आज पूरे विश्व में योग की वजह से भी हमारे देश को जाना जाता है। सैकड़ों योग प्रशिक्षित जो विभिन्न सरकारी संस्थानों से प्रशिक्षित हैं, वे रोजगार की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सरकार को अगर जिन पाठ्यक्रमों से, जिन प्रशिक्षण संस्थाओं से, रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है। या तो ऐसा पाठ्यक्रम न चलायें और सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने कई बार समाचार–पत्रों में ये वक्तव्य दिये हैं कि हम इन योग प्रशिक्षितों को सेवायोजित करेंगे सरकारी सेवा में।

मान्यवर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत भाषा का जिक्र किया। अधिकतर ये जो छात्र–छात्राएं हैं, इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय से प्रशिक्षण लिया है। मान्यवर, अब सरकार का नया वक्तव्य आया है कि जो अध्यापक हैं, उनको 10 दिन का, 5 दिन का प्रशिक्षण देकर, उन्हीं के माध्यम से विद्यालयों में योग का प्रशिक्षण देंगे। तो जिन लोगों ने सालों साल सरकार के आश्वासन पर प्रशिक्षण लेने में बर्बाद कर दिये। आज उनके सामने जीविका का संकट पैदा हो गया है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यह जो भ्रम की परिस्थिति पूरे प्रदेश में पैदा हो गयी है। खाली उन योग प्रशिक्षितों के बीच नहीं, उनके जो संरक्षक हैं, उनके जो पैरेन्ट्स हैं, उनके सामने भी और महाविद्यालयों के सामने भी यही परिस्थिति है। मान्यवर, चूँकि वहाँ पर धन की कमी थी, इसलिए हमने बहुत से महाविद्यालयों में अपनी विधायक निधि से योग प्रशिक्षण के लिए पैसा दिया है। ताकि भविष्य में इनको रोजगार मिले। मान्यवर, यह बड़ी भारी चिन्ता का विषय आज प्रदेश के सामने है। मान्यवर, यह जो भ्रमात्मक स्थिति बनी हुई है, इसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि सरकार उसको स्पष्ट करे और साथ ही सदन को आश्वासन दे कि इन योग प्रशिक्षितों को कब तक सेवायोजित करेंगे। मान्यवर, मेरा यह आग्रह है, आपके माध्यम से।

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, शासनादेश संख्याः 1967/xxiv–2/07/04(1)/2005 दिनांक 13 मार्च, 2008 द्वारा शैक्षिक सत्र 2008–09 से विद्यालयों में माध्यमिक (कक्षा 9–10) तथा उच्च माध्यमिक कक्षा 11–12 स्तर पर सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विषय संयोजन निर्धारित किये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य शिक्षा के साथ ही योग शिक्षा को विषय के रूप में समाहित किया गया है और इसी के साथ सी0बी0एस0ई0 पैटर्न के अन्तर्गत योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा को आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य किया गया है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना के विषय में आपने कहा था कि बजट भाषण के बाद सुनेंगे। उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

उसको कल सुन लेंगे। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जो हम कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच, वह सिद्ध हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष को बाहर जाना था। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी,? हम उनके पिछलग्गू नहीं हैं। हमारी सूचना है। (व्यवधान) हम न इनके पीछे हैं। न उनके पीछे हैं। लोग हमारे पीछे चलते हैं, हम जहाँ चलते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज जो नियम–310 की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, उनमें दूसरी और सातवीं सूचना क्लब हो गयी थी। इसलिए दोनों ही सूचनाएं कल सुनी जाएंगी। (व्यवधान) कल आप दुबारा दे दीजिए। (व्यवधान) माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, सी0बी0एस0ई0 पैटर्न के अन्तर्गत योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा को आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य किया गया है। योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा जो है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमें कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, शिक्षा विषय की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, एक रेगुलर विषय के तहत इसे नहीं रखा गया है। मान्यवर, इसको केवल आंतरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग व्यवस्था में रखा गया है। इसकी न कोई लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है और ..... (व्यवधान) स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कोई समय विभाजन चक्र में भी पूरे सप्ताह में दो पीरियड रखे जाते हैं। जिसके लिये अध्यापकों की व्यवस्था की गई है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 की सूचना है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इस विषय विशेष में पृथक पदों का सृजन कर पृथक विषय के अध्यापक की नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान अध्यापक सेवा नियमावली में योग और स्वास्थ्य शिक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, विद्यालयों में योग्यताधारी शिक्षक पूर्व में ही कार्यरत् हैं। जिन्हें योग शिक्षा की भी एक माह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि शांतिकुंज, हरिद्वार द्वारा दी जा रही है। (घोर व्यवधान)

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना पर आपका विनिश्चय आ चुका है।

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्यगण 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी तो मद संख्या–15 चल रही है। ....

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी तो मद संख्या–15 चल रही है, जो कि कार्य स्थगन की सूचना के सम्बन्ध में है, जो कि अपराह्न के पूर्व से शुरू हुई थी। (घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े सदस्य अपनी–अपनी बात कहते रहे)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को बाहर जाना था, इसलिये आपसे आग्रह किया था कि इन सूचनाओं को कल सुन लिया जाय। (घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमारी भी सूचना का विषय यही है, साथ ही साथ इनको भी सुन लिया जाय। (घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े सदस्य अपनी–अपनी बात कहते रहे)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी के विनिश्चय के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आग्रह किया है कि उन्हें किसी आवश्यक कार्य से जाना है। इसलिये इन सूचनाओं पर कल चर्चा करा ली जाय।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष–

उनकी भी सूचना इसी विषय पर है, जो कि क्लप कर दी गई थी। कृपया, स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवधान के कारण मैं उत्तर को सुन नहीं पाया हूँ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसे मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। शासनदेश संख्या 1967/XXIV–2/07/04 (1)/2005 दिनांक 13 मार्च, 2008 द्वारा शैक्षिक सत्र 2008–09 से विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा, कक्षा 9 तथा कक्षा 10, उच्च माध्यमिक शिक्षा, कक्षा 11 एवं 12 के स्तर पर सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर विषय संयोजन निर्धारित किये जाते हैं। मान्यवर, इस समय स्वास्थ्य शिक्षा के साथ ही योग शिक्षा को विषय के रूप में समाहित किया गया है और सी0बी0एस0ई0 पैटर्न के अन्तर्गत प्रदेश में योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा को आंतरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था के अन्तर्गत समाहित किया गया है। जिसके अन्तर्गत योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय की लिखित परीक्षा नहीं होती, केवल ग्रेडिंग होती है और यह रेगुलर विषय भी नहीं है। इसमें दो क्लास प्रति सप्ताह पढ़ायी जाती हैं, इसके लिये पूर्व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जो अध्यापक हैं, व्यायाम के, उनके द्वारा इन्हें यह शिक्षा दी जाती है। वर्तमान अध्यापक सेवा नियमावली में भी योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापक की नियुक्ति किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, विद्यालयों में व्यायाम योग्यताधारी शिक्षक पूर्व में ही कार्यरत हैं, जिन्हें योग शिक्षा की एक माह की विशेष ट्रेनिंग शान्ति कुंज, हरिद्वार से दी जा रही है और वर्तमान में अलग से योग शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड सरकार ने विभिन्न विभागों में समूह 'ग' एवं 'घ' में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के हजारों पद रिक्त पड़े हैं, परन्तु अभी तक प्रदेश सरकार ने उन रिक्त पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। उत्तराखण्ड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों हेतु सरकारी सेवा में चयन का जो रोस्टर है, वो त्रुटिपूर्ण है, उसे सुधारा जाना आवश्यक है। इससे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन सरकारी सेवा में नहीं हो पा रहा है। इससे प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के लोगों में बहुत रोष व्याप्त है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कई बार मैंने कहा है कि जो यहां पर अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग है, हर विभाग में उनके पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनके भरने की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, जो रोस्टर है, 24वाँ नम्बर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इसको पहले भी कई बार सदन में उठाया, लेकिन इसके कोई सार्थक परिणाम अभी तक नहीं निकले हैं कि जो नौकरी में चाहे चतुर्थ श्रेणी हो उसमें जनजाति का 24वाँ नम्बर है, बिल्कुल लास्ट में है, जबकि केन्द्र सरकार में उसका 7वाँ नम्बर है। तो हम चाहते हैं कि उसको 7वें, 8वें नम्बर या उसको और आगे बढ़ाया जाय जिससे कि जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल सके। जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा है। "न नौ मन तेल होना, न राधा नाचेगी।" न 24 नवम्बर से हटेगा और न ही जनजाति के बच्चों का चयन होगा। मेरा आपसे आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी, यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है, इस पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' और 'घ' में अनुसूचित जनजाति के हजारों पद रिक्त होने और उन रिक्त पदों पर बैकलॉग से न भरे जाने के सम्बन्ध में श्रीमन्, ये नियम–58 के तहत सूचना माननीय सदस्य ने दी है श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में चार प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है और दोनों राज्यों के मध्य कार्मिकों के आवंटन में आरक्षित वर्ग के कार्मिकों का आवंटन इन वर्गों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार न होने तथा राज्य में नये कार्यालय स्थापित होने के कारण रिक्त पदों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। श्रीमन्, चूँकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न संवर्गों के पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे गये हैं जिसमें से लगभग चार हजार पदों के अधिचायन पर लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती तथा साक्षात्कार के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जा रही है। चयन हेतु आयोग को भेजे गये अधियाचन में सभी वर्गों के निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षित रिक्त पदों को सम्मिलित किया गया है। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के चयन पूर्ण होने पर आरक्षित वर्गों के पदों पर सीधी भर्ती स्वतः हो जायेगी और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तर का हो जायेगा। लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर के आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास करने हेतु समय–समय पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समस्त विभागों को विभिन्न सेवा संवर्गों के अधीन आरक्षित श्रेणी से सीधी भर्ती, पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर भरने और जहां आरक्षित श्रेणी के पद लम्बे समय से रिक्त हैं। मान्यवर, ऐसे विभागों में बैकलॉग बना है वहाँ विशेष अभियान चलाकर पदों को भरने के निर्देश दिये गये हैं। जहाँ तक सरकारी सेवाओं हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए 04 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। निर्धारित आरक्षण के अनुसार कुल 100 पदों के सापेक्ष 04 अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के होंगे। जिन्हें आरक्षण रोस्टर में क्रमशः क्रमांक 24, 48, 72 एवं 96 पर रखा जाता है जो कि सम्बन्धित वर्ग हेतु निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सही है। इसलिए श्रीमन्, इसमें परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं होता है। अतः यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, आप बैकलॉग कब तक भरेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि जो आयोग की परिधि के पद हैं उनका अधियाचन आयोग को जा चुका है और जो आयोग की परिधि के पद नहीं हैं उनको बैकलॉग के माध्यम से जल्दी से जल्दी भरा जायेगा यह हमने सभी को निर्देशित किया है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, रोस्टर में 24, 48, 72 और 96 नम्बर लास्ट में हैं। ये नम्बर कभी आयेंगे ही नहीं, इसमें कभी कोई अभ्यर्थी आरक्षण की परिधि में आयेंगे ही नहीं, अगर इसको 12वें और 13वें नम्बर पर रखा जाये तो इसका लाभ मिल सकता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 04 प्रतिशत आरक्षण देना है और 24वाँ, 48वाँ, 72वाँ और 96वाँ, ये 100 पदों के सापेक्ष उन्हें 04 पद दिये जाते हैं, इसी भाँति जितने पद खाली होंगे उसके अनुसार उन्हें आरक्षण मिलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, हरिद्वार जनपद की तहसील रुड़की के गाँव रहमतपुर में अनुसूचित जाति एवं गरीब लोगों के पट्टे सन् 1976 में आवंटित किये गये थे, अभी कुछ दिनों पहले कुछ भू–माफियाओं ने एस0डी0एम0 रुड़की से मिलकर उनके पट्टे निरस्त करा दिये हैं। पट्टे निरस्त होने के बाद जो बड़ी विशेष बात उभर कर आयी है, लगभग 400 बीघे की जो भूमि थी जिस पर गरीब लोगों को पट्टे आवंटित किये गये थे, उस भूमि को 30 सालों में गरीब लोगों ने एक उपजाऊ भूमि बनाया था और यह नदी की भूमि थी। इस भूमि को उपजाऊ बनाने के बाद 30 वर्षों में मेहनत करने के बाद पट्टे निरस्त कर दिये गये। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बिल्डर्स ने उस नदी में जो किसानों की जमीन नदी में गिर गयी थी उस जमीन को सस्ते रेटों में खरीद कर अपने नाम करा ली, अपने साथियों के नाम करा ली। उस जमीन के बदले में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि उन माफिया

ग्रुप ने मिल कर जो सस्ते में किसानों की जमीन खरीदी थी, ₹ 5–6 हजार बीघा की जमीन खरीद कर जो 400 बीघा जमीन जिस पर पट्टे गरीबों के थे, दलितों के थे उनके पट्टे निरस्त कराने के बाद चकबन्दी अधिकारियों से मिलकर उस जमीन को साजिश के तहत जो जमीन नदी में थी वहाँ तो गाँव पंचायत की जमीन जो पट्टे थे वह कर दिये गये और जो अच्छी जमीन थी वहाँ पर चकबन्दी अधिकारियों से मिलकर जमीन को अपने नाम करा लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बहुत भारी घोटाला हुआ है, 400 बीघा जमीन जो करोड़ो रुपये की है और इस करोड़ों रुपये की जमीन को कुछ अधिकारियों के माध्यम से मिलकर उन भू–माफियाओं ने अपने नाम करके उस पर कब्जा कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, जिला स्तर के समस्त अधिकारी इस मामले में उन भू–माफियाओं से मिले हुए हैं, जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है, वो चकबन्दी अधिकारी जिन्होंने सरकारी जमीन को कागजों में बदल दिया है, वह बिल्डर्स के नाम कर दी है और जो खराब जमीन थी, वह गाँव पंचायत के नाम कर दी गई है। यह बहुत बड़ा खेल खेला गया है अधिकारियों के द्वारा मिलकर और इसमें बहुत भारी घोटाला हुआ है। गाँव पंचायत को करोड़ों का नुकसान हुआ है। गाँव पंचायत के लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने इसके सम्बन्ध में आंदोलन भी किये, जिलाधिकारी से भी मिले। जिलाधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब जिलाधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उस क्षेत्र के लोग कमीश्नर गढ़वाल से मिले। कमिश्नर गढ़वाल ने भी इसमें कोई कार्यवाही नहीं की। जब उन लोगों द्वारा यह प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया तो मैंने उन लोगों के साथ मिलकर राजस्व सचिव से बात की। मुख्य राजस्व आयुक्त से बात की लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकरण में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। यह जमीन का घोटाला है, गाँव पंचायत की करोड़ों की जमीन बिल्डर्स को मुफ्त में दे दी गई है। जब मुफ्त में दे दी गई है तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इसमें उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री शहजाद–

इससे पहले भी हाउस में आया था। जैसे श्री गुनसोला जी का प्रश्न आया उसमें आया कि यह कार्य नहीं हो रहा है। दो दिन बाद होगा। ऐसे ही पहले सदन में आया था। उसमें भी जवाब दिया गया था कि कोई कार्य नहीं चल रहा है। लेकिन फिर वह जमीन पर कब्जा कर लेना, फसल उजाड़ देना, खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला देना और कोई रिपोर्ट तक दर्ज करने को तैयार नहीं। तहरीर लेने के लिए तैयार नहीं। इतना आतंक है। क्या यह सरकार भू–माफियाओं को संरक्षण देने के लिए बनी है। आज गरीब के पेट का क्या होगा जो अपने बच्चों का पालन–पोषण 1976 से उस जमीन के माध्यम से कर रहा था।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी ने जनपद हरिद्वार के तहसील रुड़की के रहमतपुर गाँव के कतिपय आसामी पट्टों के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि ग्राम रहमतपुर, अहतमाल के जिन व्यक्तियों को आसामी पट्टे आवंटित किये गये थे, उन्हें जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम–176–क के आधार पर यह पट्टे दिये गये थे और इसके आधार पर यह प्राविधान है कि आसामी पट्टे पाँच वर्ष की अवधि से अधिक के लिए पट्टा नहीं दिया जायेगा और उसी में यह प्राविधान भी है कि आसामी के पक्ष के पट्टे को समाप्त कर दे परगना अधिकारी। और इस प्रकार के पट्टे समाप्त किये जाने पर आसामी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। श्रीमन्, इस प्राविधान के सुसंगत नियमों के तहत यह पट्टे पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् निरस्त किये गये हैं। इसमें से 30 व्यक्तियों के अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण विचारधीन है। माननीय न्यायालय के निर्माण के पश्चात् ही इस पर कोई कार्यवाही सम्भव होगी।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब बिल्कुल भ्रामक है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब भ्रामक है, मैं कह रहा हूँ कि जवाब सदन को ही नहीं, पूरे प्रदेश को भ्रमित करने वाला है। सन् 1976 में पट्टे दिये गये थे, वर्ष 2010 में कैन्सिल कर रहे हैं। मान्यवर, 5 साल के लिए पट्टा 12 साल का कब्जा कोई हटा नहीं सकता है, यह नियम भी है यह मानवता भी है। यदि उन गरीबों की रखवाली यह सरकार नहीं कर सकती है तो इस सरकार को रहने का हक नहीं है। यदि गरीबों की रक्षा नहीं कर सकती तो सरकार को रहने का हक नहीं है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सम्पत्ति अब ग्राम सभा की सम्पत्ति के रूप में दर्ज की जा चुकी है, यह निर्णय माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश एवं श्री नारायण पाल 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री एवं माननीय सदस्य को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 02 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना, जो जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण के स्याल्दे व मानिला महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कमी व बी0एस0सी0 के पठन–पाठन आरम्भ न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद की सहकारी समितियों में भी किसानों के हित के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा किसान सहकारी समिति पनियाला द्वारा अपनाई गई ऋण वसूली प्रक्रिया की तरह ही साल में एक बार ऋण वसूली किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

देवभूमि उत्तराखण्ड में गंगा जैसी पवित्र नदी तथा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किये जाने के बाद भी प्रदेश की बड़ी आबादी को गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[उत्तराखण्ड राज्य में 63 नगर तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओ से 27656 पूर्ण संतृप्त तथा 8796 आंशिक संतृप्त बसावटें लाभान्वित हैं। इन नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के स्रोत नदियों, गधेरो, स्प्रिंग, नलकूप एवं अन्तःस्रोत कूप (इन्फिल्ट्रेशन वैल) हैं। नलकूप के माध्यम से भूजल, स्प्रिंग के माध्यम से चट्टानों में एकत्रित पानी (एक्वीफर) तथा अन्तःस्रोत कूप के माध्यम से समीप की नदी का जल प्राप्त किया जाता है। नलकूप, स्प्रिंग एवं अन्तःस्रोत कूप के माध्यम से प्राप्त होने वाला जल प्राकृतिक रूप से फिल्टर होता है।

प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वितरित किये जा रहे जल की गुणवत्ता की जांच समय–समय पर विभाग द्वारा एवं अन्य विभागों की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं यथा आई0आई0टी0 रुड़की, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ तथा बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार से भी नमूनों का परीक्षण कराया जाता है। सामान्यतः उत्तराखण्ड राज्य में पेयजल में मुख्यतः

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दो प्रदूषण टर्बिडीटी तथा शाकण्विक (बैक्ट्रोलाजीकल) प्रदूषण होने की सम्भावना ही रहती हैं। मुख्यतः वर्षा ऋतु के दौरान सतही स्रोत से प्राप्त किये जाने वाले जल में टर्बिडीटी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे विभाग द्वारा रेपिडग्रेविटी फिल्टर, स्लो सेंड फिल्टर, रफनिंग फिल्टर तथा उत्तरांचल कूप से शोधन कर जनता को वितरित किया जाता है। मानकों के अनुसार वितरण प्रणाली के अन्तिम छोर पर उपलब्ध पेयजल पर 0.2 पी0एम0 (पार्ट पर मिलियन) रेजिड्यूल क्लोरीन होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शाकाण्विक (बैक्ट्रोलाजीकरण) प्रदूषण को दूर करने के लिए विभाग द्वारा पेयजल को क्लोरीनेशन करने के उपरान्त वितरित किया जाता है। नलकूप, स्प्रिग तथा अन्तःस्रोत कूप से प्राप्त जल उक्त प्रदूषण से मुक्त रहता है। उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं हेतु उत्तरांचल कूप नाम की डिवाईस को विकसित किया गया है और अब तक 1351 उत्तरांचल कूप अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। शेष योजनाओं पर भी उत्तरांचल कूप लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है। उत्तरांचल कूप से प्राप्त जल प्राकृतिक रूप से फिल्टर होता है। उत्तराखण्ड के क्षेत्र विशेष के कुछ कम गइराई वाले हैण्डपम्पों में आयरन की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। इन सभी हैण्डपम्पों पर आयरन रिमूवल प्लान्ट लगाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ नलकूप आधारित योजनाओं पर सिल्वर आयोजनाईजेशन प्लान्ट लगाकर भी डिसइन्फेक्शन किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग से दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण पेट की बीमारी, दातों की बीमारी, पथरी, पीलिया तथा कैंसर की बीमारियां बढ़ने की कोई जानकारी भी संज्ञान में नहीं आयी है। जल प्रदूषण की कोई जानकारी संज्ञान में आती है तो उस पर तुरन्त कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं।

संविधान के 73वें संशोधन के प्राविधानों के फलस्वरूप जिन योजनाओं को ग्राम सभाओं हस्तान्तरित कर दिया गया है। उन ग्रामों के ग्रामवासियों को विभाग द्वारा पेयजल गुणवत्ता की ग्रामीणों के स्तर पर नियमित जाँच हेतु निम्न मानकों की जानकारी गांववासियों को दी जा रही है :–

1. पी0एच0
2. गन्दलापन
3. नाईट्रेट
4. फ्लोराइड
5. लौह
6. अवशेष क्लोरीन
7. हाईनैस
8. क्लोराईड
9. क्षारीयता
10. कोलीफोर्म बैस्टिरियल जाँच

क्रमिक रूप से प्रशिक्षण के पश्चात ग्राम पंचायतों को उपरोक्त मानकों की जाँच हेतु मल्टीपैइरामीटर फील्ड टैस्ट किट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य की अवशेष ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण हेतु वृहद कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगति पर है। प्रदेश की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने एवं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पेयजल विभाग द्वारा जनता को जागरुक करने के लिए जगह–जगह पर पेयजल की शुद्धता के लिए निम्न स्लोगन दिये गये हैं :–

''जल संचय जीवन संचय''

''कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाईये''

''वैधानिक चेतावनी–जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है''

मान्यवर, उपरोक्त स्लोगनों पर मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने–अपने क्षेत्र की जनता में भी अपने स्तर भी प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मुझे प्रश्न पूछना है, यह चर्चा के लिए स्वीकृत हुआ है। मान्यवर, यह पेयजल से जुड़ा हुआ गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य में शीघ्र पंचायती राज एक्ट लागू करने के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[उत्तराखण्ड राज्य में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 और क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अनुकूलन एवं उपान्तरण किया गया है तथा उत्तराखण्ड राज्य की विषम एवं भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत समय–समय पर पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण भी किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु नवीन पंचायतीराज अधिनियम को बनाने के उद्देश्य से मा0 मंत्री, पंचायती राज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, समिति स्तर से अधिनियम के निर्माण की कार्यवाही चल रही है। उत्तराखण्ड राज्य हेतु प्रस्तावित अधिनियम में कोई त्रुटि न रह जाय इस हेतु अधिनियम समिति द्वारा विभिन्न प्रदेशों के

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पंचायतों का अध्ययन करने हेतु विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण प्रस्तावित है। भ्रमण के उपरान्त समिति के सदस्य अपने सुझाव उपलब्ध करायेंगे, जिन्हें गुण दोष के आधार पर तद्नुसार प्रस्तावित उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम में सम्मिलित करने हेतु यथासमय विचार किया जायेगा।

विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत 73वें संविधान के आलोक में प्रथम चरण में 14 विषयों के निधि, दायित्व एवं कार्मिकों को त्रिस्तरीय पंचायतों के अधीन लाये जाने के शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं। जहाँ तक जिला योजना समिति के प्रभारी अध्यक्ष बनाये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 जिस पर मा0 विधान मण्डल द्वारा 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की गयी थी। उक्त अधिनियम दिनांक 16 जुलाई, 2007 को अधिसूचना जारी की गयी। अधिनियम की धारा 4 (4) क में स्पष्ट है कि 'राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा'। उक्त अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत जिला योजना समिति नियमावली, 2010 प्रख्यापित कर दी गयी है। तद्नुसार समिति के गठन की कार्यवाही की जा रही है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 5 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक 17 मार्च, 2010

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 विधान सभा/417–05–02–2013–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।